धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-अप्रैल, मई,जून,2024

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल -51 [स्थापना आदेश-सं.99-145(47)एवं 2 शुदधि पत्र, कुल-49] तथा 1 स्थापना परिपत्र व 1 सतर्कता परिपत्र

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-99/2024	23.04.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं-100/2024	22.04.2024	अनुवाद किया गया	TAV
3	आदेश सं-101/2024	24.04.2024	अनुवाद किया गया	TAV
4	आदेश सं-102/2024	01.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
5	आदेश सं-103/2024	03.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
6	आदेश सं-104/2024	22.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
7	आदेश सं-105/2024	22.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
8	आदेश सं-106/2024	15.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
9	आदेश सं-107/2024	15.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
10	आदेश सं-108/2024	15.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
11	आदेश सं-109/2024	15.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
12	आदेश सं-110/2024	15.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
13	आदेश सं-111/2024	22.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
14	आदेश सं-112/2024	22.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
15	आदेश सं-113/2024	22.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
16	आदेश सं-114/2024	22.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
17	आदेश सं-115/2024	03.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
18	आदेश सं-116/2024	18.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
19	आदेश सं-117/2024	24.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
20	आदेश सं-118/2024	28.05.2024	अनुवाद किया गया	RCR
21	आदेश सं-119/2024	29.05.2024	अनुवाद किया गया	CTB
22	आदेश सं-120/2024	29.05.2024	अनुवाद किया गया	CTB
23	आदेश सं-121/2024	29.05.2024	अनुवाद किया गया	CTB
24	आदेश सं-122/2024	30.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
25	आदेश सं-123/2024	30.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
26	आदेश सं-124/2024	03.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
27	आदेश सं-125/2024	04.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
28	आदेश सं-126/2024	04.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
29	आदेश सं-127/2024	04.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
30	आदेश सं-128/2024	04.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
31	आदेश सं-129/2024	10.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
32	आदेश सं-130/2024	11.06.2024	अनुवाद किया गया	CTB
33	आदेश सं-131/2024	24.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
34	आदेश सं-132/2024	14.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
35	आदेश सं-133/2024	21.06.2024	अनुवाद किया गया	CTB
36	आदेश सं-134/2024	20.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
37	आदेश सं-135/2024	20.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
38	आदेश सं-136/2024	20.06.2024	अनुवाद किया गया	CTB
39	आदेश सं-137/2024	21.06.2024	अनुवाद किया गया	CTB
40	आदेश सं-138/2024	24.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
41	आदेश सं-139/2024	24.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
42	आदेश सं-140/2024	25.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
43	आदेश सं-141/2024	25.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
44	आदेश सं-142/2024	27.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
45	आदेश सं-143/2024	27.06.2024	अनुवाद किया गया	TAV
46	आदेश सं-144/2024	27.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
47	आदेश सं-145/2024	27.06.2024	अनुवाद किया गया	RCR
48	शुदधिपत्र -आदेश सं- 113	30.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV
49	शुदधिपत्र -आदेश सं- 114	30.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV

TAV- 26
RCR- 18
CTB- 7
51

स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	स्थापना परिपत्र	11.04.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	सतर्कता परिपत्र सं .2 /2024	20.05.2024	अनुवाद किया गया	TAV

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/11/1/2020-Estt **दिनांक: 27.06.2024**

आदेश सं.: 145 /2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 -Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित कर सहायकों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से उनकी श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /कु./श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	एस आनंद	13.06.1992	01.03.2023
2.	रोहित कुमार राई	30.10.1991	01.03.2023
3.	परवीन कुमार	15.08.1995	01.03.2023
4.	बिनु वर्गीस	01.07.1971	01.03.2023
5.	वी आर राजेश	23.06.1975	01.03.2023
6.	वैशाख विश्वनाथ	16.11.1995	17.11.2023
7.	निखिल सी बाबु	29.01.1994	13.10.2023
8.	ऐश्वर्या मैथ्यू	27.11.1994	13.10.2023
9.	सुष्मिता जॉन	09.02.1995	15.11.2023
10.	जीजोमोन पी जे	23.11.1970	20.10.2023
11.	पत्तायतिल सतीश कुमार	23.04.1977	29.10.2023
12.	चिन्चु सी	10.06.,1991	27.05.2024

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम
3. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
2. अधीक्षक(गोप./सत॰)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2020-Estt दिनांक :27.06.2024

आदेश सं.: 144 / 2024

विषय: कर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हवलदार को इसके साथ कर सहायक के ग्रेड में भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित वेतन मेट्रिक्स में लेवल -4 में रु.25,500 -81,100 वेतनमान में पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनाती स्थान
1	नवीन कुमार टी एस (अ.जा.)	31.05.1968	कोयिककोड आयुक्तालय

2. पदोन्नत अधिकारी दिनांक **12.07.2024** को या उसके पहले पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी को नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. नियंत्रण अधिकारियां संबन्धित अधिकारियों के कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक **19.07.2024** तक भेज देनी चाहिए ।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबधित व्यक्तियां (संबंधित अधिकारियों के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
2. आयुक्त, , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/कोयिक्कोड ।

प्रति :

1. अधीक्षक (सत./ सिस्टम्स/ मु.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)मु केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड ।
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 143/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक एवं निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

आदेश सं.122/2024, 123/2024 एवं 141/2024 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक एवं निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	स्वप्ना वी एम	अधीक्षक	24.04.1980	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम रेंज 4
2.	के एम मनीष	अधीक्षक	16.02.1991	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम रेंज 1
3. ,	अक्षय सिंह भदुरिया	अधीक्षक	26.10.1990	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम रेंज 5
4.	क्षितिज शमिनित तिर्की	निरीक्षक	25.03.1985	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम रेंज 5
5.	मीसला किरण कुमार	निरीक्षक	26.08.1989	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम रेंज 3
6.	जयवीर यादव	निरीक्षक	10.03.1993	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम रेंज 6
7.	संजय	निरीक्षक	20.02.1998	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश	एर्णाकुलम रेंज 3

				के अधीन	
8.	ख्याति आर्या	निरीक्षक	25.06.1994	एर्णाकुलम रेंज 5	एर्णाकुलम मंडल

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 08.07.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt. **दिनांक : 27.06.2024**

आदेश सं.: 142 /2024

विषय : अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	अफ्सल पी के	27.11.1992	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 05.07.2024 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 12.07.2024 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र |
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / कोयिक्कोड/अपील

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि/ कोयिक्कोड/अपील
2. अधीक्षक((सिस्टम्स/हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 141 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

दिनांक 14.06.2024 के आदेश संख्या 132/2024 के जारी होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अक्षय सिंह भदुरिया	26.10.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
2.	कपिल गार्ग	25.06.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर मंडल
3. ,	फिलिप वर्गीस	04.05.1966	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड मंडल

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 08.07.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

टी जी वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 140 /2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

आदेश संख्या 122 / 2024 में आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि	...से	... को
1.	श्रीनाथ पी	01.12.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	तकनीकी/ डीजीएआरएम अनुभाग,मु.कोच्चि
2.	रोसी एम पीटर	06.08.1970	एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के अधीन	आम्बल्लूर रेंज
3.	निक्सन के ए	11.11.1969	काक्कनाड मंडल को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर मंडल
4.	रविकुमार ई	19.05.1967	चेम्बुक्कावु रेंज को स्था.आदेश के अधीन	इरिन्जालक्कुडा रेंज
5.	चेम्मणूर षैनी थॉमस	05.10.1970	आम्बल्लूर रेंज को स्था.आदेश के अधीन	चेम्बुक्कावु रेंज

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक 08.07.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति : 1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt दिनांक / Date : 24.06.2024

आदेश सं.: 139 / 2024

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- I की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- I की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	अमित कुमार	15.09.2000	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ-सीसीए

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 28.06.2024 तक किया जाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 तक इस कार्यालय तक पहुंच जानी चाहिए
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/लेखा परीक्षा

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि / लेखा परीक्षा
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT दिनांक : 24.06.2024

आदेश सं.: 138 / 2024

विषय : एमटीएस के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के एमटीएस के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	सवाई सिंह मीना	30.06.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परीक्षा. कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ,कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
7. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / कोच्च

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, लेखा परीक्षा आयुक्तालय

3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत.मु.) , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT दिनांक : 06.2024

आदेश सं.: 137 /2024

विषय : हवलदार एवं एमटीएस के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हवलदार एवं एमटीएस के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	विनीता टी.वी., हवलदार	01.03.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
2.	सवाई सिंह मीना एमटीएस	30.06.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कर बकाया वसूली अनुभाग,मु., कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक (सत./मु.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File

GEXCOM/II(25)/38/2020-Estt दिनांक: .06.2024

आदेश सं.: 136 /2024

विषय : श्री जयकृष्णन, अधीक्षक, पालक्काड मंडल, कोयिक्कोड आयुक्तालय के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के आयुक्त, श्री जयकृष्णन सी,अधीक्षक, पालक्काड मंडल, कोयिक्कोड आयुक्तालय को दिनांक 31.07.2024 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं जो दिनांक 01.05.2024 के उनके अभ्यावेदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन है |

2. श्री जयकृष्णन सी,अधीक्षक के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है

(सी टी बिंदु)
उप आयुक्त(का व सत)

सेवा में
श्री जयकृष्णन सी,
अधीक्षक,(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)
पालक्काड मंडल, कोयिक्कोड आयुक्तालय

प्रतिलिपि प्रस्तुत :
1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि
1. **केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त, पालक्काड मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।**
2. **मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड**
3. **प्र.अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पालक्काड मंडल**
4. **अधीक्षक (गोप./सत.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्तालय,कोच्चि**
5. **अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु**
6. **सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति,कोच्चि**
7. **राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt **दिनांक : 20.06.2024**

आदेश सं.: 135 / 2024

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

सीबीआईसी के कार्यालय आदेश संख्या 45/2024, दिनांक 07.03.2024 और केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र मुख्य आयुक्त के कार्यालय आदेश संख्या 17/2024 (डीजीएचआरडी/एडीसी-जेसी/110/2024), दिनांक 30.05.2024 के जारी होने के परिणामस्वरूप, कोच्चि सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्तों के बीच निम्नलिखित कार्य आवंटन का आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	लिंक अधिकारी
1	रानी सी आर, अपर आयुक्त	स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता, अपवंचनरोधी,मुकदमा,मुख्यालय, मुख्यालय, खेल, तकनीकी,सांख्यिकी एवं आसूचना, संसद प्रश्न,आरऍफ़डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, डीजीएआरएम, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, सीआरयू, राजभाषा, जीएसटी सेवा केंद्र, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, सत्यापन कक्ष,प्रशासन.भविष्या, लेखा, एर्णाकुलम, चालक्कुडी एवं त्रिश्शूर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लिगेसी कार्य; आयुक्त(सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोचिन आयुक्तालय) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	कोम्मिसेट्टी मुरलीधर, संयुक्त आयुक्त

2	कोम्मिसेट्टी मुरलीधर, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार (आरटीआई), समीक्षा, विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण(सीएटी), आलुवा, पेरुम्बावूर, इडुक्की एवं काक्कनाड़ केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य; आयुक्त (सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोचिन आयुक्तालय) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	रानी सी आर, अपर आयुक्त

टी.जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |
5. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT दिनांक : 20.06.2024

आदेश सं.: 134 /2024

विषय : हवलदार एवं एमटीएस के ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार एवं एमटीएस के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	विनीता टी.वी., हवलदार	01.03.1979	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	सवाई सिंह मीना एमटीएस	30.06.1990	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
7. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/नासिन/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक)/अपील/लेखा परीक्षा आयुक्तालय

3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक)/अपील/लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक)/अपील/लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत./मु.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक)/अपील/लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स), वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2024-Estt. **दिनांक : 21.06.2024**

आदेश सं.: 133 /2024

विषय : अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	श्रीजित के वी	14.04.1990	मुख्यालय अनुभाग, मु.कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड मंडल में ही रखा गया
2.	राकेश के आर	13.05.1994	काक्कनाड मंडल को स्था.आदेश के तहत	मुख्यालय अनुभाग, मु.कोच्चि में ही रखा गया

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 132 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अशोक कुमार	31.12.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2.	हमीद के के	10.04.1974	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
3. ,	संदीप जैन	21.05.1985	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4.	सलीम कुमार एस	20.05.1969	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
5.	अक्षय सिंह भदौरिया	26.10.1990	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
6.	सुजाता विजयन	09.11.1977	पदोन्नति पर	सीसीओ-सीपीसी
7.	अर्जुन कृष्णा	03.02.1988	पदोन्नति पर	सीसीओ-सीपीसी
8.	कपिल गार्ग	25.06.1990	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
9.	सोनु कुमार	04.06.1988	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा

				आयुक्तालय, कोच्चि
10.	डिबिन बाबु के जॉनसन के जार्जे	25.04.1989	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
11.	रमजान खान	07.08.1991	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
12.	प्रमीला अजित	25.05.1971	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन(हवाई अड्डा,तिरुवनंतपुरम) को स्था. आदेश के तहत	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम में ही रखा गया
13.	गीता ई	09.06.1968	सीसीओ-सीपीसी	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
14.	राजेश्वरी एम	25.05.1970	सीसीओ-सीपीसी	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
15.	फिलिप वर्गीस	04.05.1966	सीसीओ-सीपीसी को स्था. आदेश के तहत	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
16.	जयकृष्णन सी	30.05.1967	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि को स्था. आदेश के तहत	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड में ही रखा गया

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर दिनांक **21.06.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. लेखा परीक्षा आयुक्तालय में तैनात अधिकारियों के मामले में, नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को राहत दी जा रही है, वे राहत की तारीख को सतर्कता के दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

5. यह केंद्रीय कर ,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **25.06.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

टी.जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 131 / 2024

विषय : - एजीटी - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

आदेश सं.113 /2024 दिनांक 22.05.2024 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	श्रीनाथ पी	01.12.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	मुक्मल्ला सी कृष्णरेड्डी	08.08.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के तहत	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
3. ,	रंजन कुमार	07.04.1999	सीजीएलई 2023 -नई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने वर्तमान तैनाती स्थान से दिनांक 28.06.2024 तक कार्यभार से मुक्त कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. लेखा परीक्षा आयुक्तालय में तैनात अधिकारियों के मामले में, नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को राहत दी जा रही है, वे राहत की तारीख को सतर्कता के दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. किसी भी अधिकारी की ओर से नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

5. यह केंद्रीय कर ,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **02.07.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/39/38/2020-Estt दिनांक: 11.06.2024

आदेश सं.: 130 /2024

विषय : श्री थोमस वी.टी., ड्राईवर (ग्रेड -I) संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के उप नियम (1) के तहत खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के अपर आयुक्त (का व सत), **श्री थोमस वी.टी., ड्राईवर (ग्रेड -I),** सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन को दिनांक **01.09.2024** से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन है |

2. श्री थोमस वी.टी., ड्राईवर (ग्रेड -I), के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है

(सी टी बिंदु)
उप आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्री थोमस वी.टी.,,
ड्राईवर (ग्रेड -I),(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)
वायु सीमा शुल्क,
ट्रिवेनड्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

प्रतिलिपि

1. **सहायक आयुक्त(का व सत), सीसीपी मुख्यालय,कोचिन - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी सोसाइटी से एनओसी लेना है ।**
2. **मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीसीपी मुख्यालय,कोचिन**
3. **प्र.अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (सत.), सीसीपी मुख्यालय,कोचिन**
4. **अधीक्षक (सिस्टम्स) - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु**
5. **वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT दिनांक: 10.06.2024

आदेश सं. : 129 / 2024

विषय: सहायक सब -इंस्पेक्टर (आयुध) के श्रेणी में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हवलदार को भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक सब -इंस्पेक्टर (आयुध) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1.	श्री टाइटस के टी	30.05.1968	सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. अधिकारी को दिनांक **24.06.2024** तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारियों/सम्बंधित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड /तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीसीपी
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, सीसीपी
3. अधीक्षक(सिस्टम्स)केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु
5. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ग' अधिकारी संघ, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/36/2020-ESTT

आदेश सं.: 128 / 2024

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में,ग्रुप'बी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	अशोक कुमार	31.12.1985
2	हमीद के.के.	10.04.1974
3	संदीप नैन	21.05.1985
4	सलीम कुमार एस	20.05.1969
5	दिनेश कुमार	20.11.1989
6	अक्षय कुमार भदौरिया	26.10.1990
7	सुजाता विजयन	09.11.1977
8	अर्जुन कृष्णा	03.02.1988
9	कपिल गार्ग	25.06.1990
10	सोनु कुमार	04.06.1988
11	संदीप कुमार (अ.जा.)	04.04.1990

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल तथा दिनांक 07.06.2024 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए |

3. जो अधिकारी, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के बाहर प्रतिनियुक्ति/ऋण आधार पर काम कर रहे हैं, वे मूल क्षेत्र में पुनः शामिल होने के बाद ही अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

4. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले मैं उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी केकार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 10.06.2024 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय कोच्चि ,
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
6. अपर महा निदेशक,डीजीजीआई /डीआरआई, आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/ कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड / सीसीपी/ ले ,.प.कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी वेतन एवं लेखा अधिकारी /,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु/ कोच्चि.तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड /सीसीपी /ले .प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी ,(डी डी ओ)अधीक्षक/ सत॰)गोपनीय(,कोच्चि /कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम /सीसीपी /ले .प.,कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/36/2020 -ESTT

आदेश सं.: 127 /2024

विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में कल्पित पदोन्नति-संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था.(आरक्षण-II) के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये (पीबी-2) ग्रेड पे - 4800 रुपये के अनुरूप) और ऐसे भत्ते जो लागू हो सकते हैं, में पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह 'ख' पद के संवर्ग में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	रिक्ति वर्ष	अभ्युक्तियाँ
1	श्रीमती विजया टी एन (अस्थि विकलांग-ओएच)	13.08.1973	2016-2017	दिनांक 09.03.2017 से पदोन्नत किया गया और दि:01.01.2016 से दि:30.11.2023 तक की अवधि के लिए बनाई गयी अधीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची में श्रीमती श्रीकला एस.के. (क्रमांक 39) के नीचे रखा गया।
2	श्रीमती गीता ई (अस्थि विकलांग-ओएच)	09.06.1968	2017-2018	दिनांक 01.12.2017 से पदोन्नत किया गया और (दि:01.01.2016 से दि:30.11.2023 तक की अवधि के लिए बनाई गयी अधीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची में श्रीमती अनिता वासु (अ.जा.) (क्रमांक 60) के ऊपर रखा गया |
3	श्री बाल मुकुंद (अस्थि विकलांग-ओएच)	22.06.1986	2019	दिनांक 01.01.2020 से पदोन्नत किया गया और दि:01.01.2016 से दि:30.11.2023 तक की अवधि के लिए बनाई गयी अधीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची में श्री सत्यमेंद्र सिंह (अ.जा.) (क्रमांक 120) के नीचे एवं श्री संदीप कुमार (क्रमांक 121) के ऊपर रखा गया।
4	श्री श्री बाबु	06.04.1985	2021	दिनांक 22.10.2021 से तदर्थ आधार पर

	(अस्थि विकलांग-ओएच)			पदोन्नत किया गया और दि:01.01.2016 से दि:30.11.2023 तक की अवधि के लिए बनाई गयी अधीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची में श्री जैक्सन जोसफ (क्रमांक 200) के नीचे रखा गया।
5	श्री दोरैशाला जगदीश कुमार रेड्डी (अस्थि विकलांग-ओएच)	17.11.1986	2023	दिनांक 26.07.2023 से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया और दि:01.01.2016 से दि:30.11.2023 तक की अवधि के लिए बनाई गयी अधीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची में श्री दीपक कुमार (अ.जा.) (क्रमांक 265) के नीचे एवं श्री के एम मनीष(अ.जा.) (क्रमांक 266) के ऊपर रखा गया।
6	श्री डिबिन बाबु के जॉनसन के जॉर्ज (अस्थि विकलांग-ओएच)	25.04.1989	2023	दिनांक 26.07.2023 से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया और दि:01.01.2016 से दि:30.11.2023 तक की अवधि के लिए बनाई गयी अधीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची में श्री रामसागर मीना (अ.ज.जा.) (क्रमांक 273) के नीचे रखा गया।
7	श्री रमजान खान (अस्थि विकलांग-ओएच)	07.08.1991	2023	दिनांक 26.07.2023 से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया और श्री डिबिन बाबु के जॉनसन के जॉर्ज (अस्थि विकलांग-ओएच), (क्रमांक 6 ऊपर) के नीचे रखा गया।

2. अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर डीओपीटी ओएम दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के संदर्भ में वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा | उन्हें काल्पनिक पदोन्नति का लाभ मिलने की तिथि से लेकर अधीक्षक के रूप में वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि के लिए कोई वित्तीय बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

3. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) ओए में 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. क्रम संख्या 6 एवं 7 में उल्लिखित अधिकारियों को उच्च पद पर तत्काल तथा दि: 07.06.2024 तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए |

5. अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने/न करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दि: 10.06.2024 तक इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 04.06.2024**

स्थापना आदेश सं.: 126 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90698)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **ओबीसी** (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री रंजन कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **28.05.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री रंजन कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री रंजन कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री रंजन कुमार,
गाँव बड़ी तालाब, पकरीबरावां डाकघर,
पकरीबरावां थाना, जिला -नवादा,
बिहार, पिनकोड -805124

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 04.06.2024**

स्थापना आदेश सं.: 125 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90726)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस)** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.B दिनांक 08.08.2024 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री प्रस्नजीत मुंड** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **17.05.2024 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री प्रस्नजीत मुंड को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री प्रस्नजीत मुंड** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)

आयुक्त

सेवा में,

श्री प्रस्नजीत मुंड,
मोटेर डाकघर, कोकसारा थाना,
जिला - कालाहंडी, उडीशा,
पिनकोड - 766017

प्रतिलिपि समर्पित

1. अवर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt

आदेश सं.: 124 / 2024

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पे मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बैजु आर, अधीक्षक	23.04.1971	तृतीय	01.09.2022*	स्तर - 10
2.	सी जे थॉमस,अधीक्षक	02.05.1968	तृतीय	20.01.2019	स्तर - 10
3.	गीतिका चिब, अधीक्षक	19.03.1984	प्रथम	26.09.2023	स्तर -8
4.	गौरव वत्स, अधीक्षक	31.12.1989	प्रथम	03.12.2023	स्तर -8
5.	पंकज,अधीक्षक	07.02.1986	प्रथम	23.10.2022	स्तर -8
6.	मनीष के आर,अधीक्षक	14.07.1989	प्रथम	29.11.2023	स्तर -8
7.	सूरज गुप्ता, निरीक्षक	01.01.1987	प्रथम	29.11.2023	स्तर -8
8.	संदीप नैन,निरीक्षक	21.05.1985	प्रथम	03.12.2023	स्तर -8
9	संदीप कुमार, निरीक्षक	07.11.1989	प्रथम	09.12.2023	स्तर -8
10	जॉय सेबेस्टियन, निरीक्षक	28.09.1985	प्रथम	11.01.2022	स्तर -8
11	जोसफ जे, निरीक्षक	30.05.1977	तृतीय	03.04.2024	स्तर -8
12	अर्जुन कृष्णा, निरीक्षक	03.02.1988	प्रथम	09.12.2023	स्तर -8
13	कपिल गार्ग, निरीक्षक	25.06.1990	प्रथम	10.02.2024	स्तर -8
14	सोनु कुमार, निरीक्षक	04.06.1988	प्रथम	30.12.2023	स्तर -8
15	नौषाद पी एच, निरीक्षक	01.01.1975	तृतीय	03.04.2024	स्तर -8
16	जाफिर चीमाडन, कार्यकारी सहायक	30.05.1965	तृतीय	02.04.2017	स्तर -4
17	गोपी वी आर, हेड हवलदार	28.05.1966	तृतीय	24.08.2024	स्तर -4
18	रेतिमोल ई आर, हेड हवलदार	20.04.1965	तृतीय	11.08.2024	स्तर -4

19	साजन वी पी, हेड हवलदार	15.02.1965	तृतीय	17.08.2024	स्तर -4
20	एम के वल्सन, हेड हवलदार	27.01.1966	तृतीय	01.10.2023	स्तर -4

* श्री बैजू आर, अधीक्षक को दि: 20.11.2022 को तीसरा एमएसीपी प्रदान करने के लिए दि: 09.11.2022 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की सिफारिश की समीक्षा की गई है और दि: 20.11.2022 के बजाय दि: 01.09.2022 से स्तर 10 में एमएसीपी के तहत तीसरे वित्तीय उन्नयन के लिए सिफारिश की गई है।

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जाएगा।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 21.07.2010 के पत्र डी.सं.62460/यूएस (डी)/2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 4 (चार) वर्ष पूरे होने के बाद अधीक्षक (समूह-**'बी'**) अधिकारियों को दिए गए गैर-कार्यात्मक ग्रेड के लाभ को डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 के अनुबंध -1 के पैरा 8.1 के अनुसार वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के रूप में माना जाएगा और इसे एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के बदले में उपयुक्त किया जाएगा।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 123 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

दिनांक 22.05.2024 के आदेश सं. 114/2024 के जारी होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुजाता एस	23.04.1973	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड रेंज 1
2.	संदीप सिंह	21.03.1996	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	इडुक्की मंडल
3. ,	विक्रांत कुमार वर्मा	09.02.1993	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर रेंज
4.	पंकज वरुण	20.09.1992	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कोतमंगलम रेंज
5.	विनया सी आर	08.05.1975	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	चालक्कुडी मंडल
6.	जिन्सी एम पी	25.05.1983	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
7.	स्वप्ना वी एम	24.04.1980	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को	एर्णाकुलम मंडल

			स्था.आदेश के अधीन	
8.	एब्रहाम कोशी टी	28.03.1982	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	अपवंचनरोधी,मु.कोच्चि
9.	अभिलाष सी	27.11.1983	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	चेम्बुक्काव रेंज
10.	के एन जयप्रकाश	10.05.1970	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	परवूर रेंज
11.	बिजु के जेकब	31.05.1971	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि
12.	मिराज के के	20.05.1972	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कुन्नमकुलम रेंज
13.	रामसागर मीना	08.07.1996	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	तोडुपुया रेंज
14.	के एम मनीष	16.02.1991	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
15.	कुरियन मैथ्यू	14.11.1971	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड रेंज 5
16.	उण्णिकृष्णन के	21.04.1953	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड रेंज 3
17.	आशीष कुमार मीना	09.04.1989	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	मुवाट्टुपुया रेंज
18.	सूरज कुमार पी	16.05.1976	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
19.	हरिकृष्णन के	10.05.1969	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
20.	हरिप्रसाद ए के	01.06.1972	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
21.	गिरीश बाबु पी	30.05.1965	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को	गुरुवायूर रेंज

●			स्था.आदेश के अधीन	
22.	राधा विजयराघवन	25.03.1970	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.,कोच्चि
23.	प्रीया के एम	17.03.1979	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि	विधिक अनुभाग, कोच्चि
24.	हरिकुमार पी	24.05.1969	चेम्बुक्काव रेंज	समीक्षा अनुभाग, मु.,कोच्चि
25.	मनोज कुमार यादव	04.07.1982	परवूर रेंज	एर्णाकुलम मंडल
26.	नारायणी पी	23.04.1970	कुन्नमकुलम रेंज	कवरत्ती रेंज
27.	अनंदन नायर	31.05.1967	काक्कनाड रेंज 1	काक्कनाड मंडल
28.	पेटरीस जोसफ	17.07.1969	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.,कोच्चि	त्रिश्शूर मंडल

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |

3. जीएसटीएन बैक ऑफिस में भूमिकाएं संभाल रहे अधिकारियों को **14.06.2024** से पहले उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. दिनांक **18.06.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें ।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 122 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

दिनांक 22.05.2024 के आदेश सं. 113/2024 के जारी होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	अजीत सिंह चौधरी	17.08.1988	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	वंडीपेरियार रेंज
2.	रोहित सिंह	10.03.1993	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर मंडल
3. ,	क्षितिज शमिनित तिर्की	25.03.1985	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
4.	जयदीप सी	17.02.1975	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि
5.	रविकुमार ई	19.05.1967	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	चेम्बुक्काव रेंज
6.	हर्षित तिवारी	03.09.1993	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कियक्कम्बलम रेंज
7.	चेम्मन्नूर षैनी थॉमस	05.10.1970	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को	आम्बल्लूर रेंज

			स्था.आदेश के अधीन	
8.	रिजोय फ्रांसीस के	31.05.1983	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि
9.	के वी माधवन कुट्टी	15.09.1974	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	त्रिश्शूर मंडल
10.	निक्सन के ए	11.11.1969	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	काक्कनाड मंडल
11.	रोसी एम पीटर	06.08.1970	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
12.	मीसला किरण कुमार	26.08.1989	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
13.	मुक्मल्ला सी कृष्णरेड्डी	08.08.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	तोडुपुया रेंज
14.	प्रजीत के पी	19.07.1987	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	अय्यनतोल रेंज
15.	संदीप एस मेनोन	11.07.1991	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	सतर्कता अनुभाग, मु.,कोच्चि
16.	षेम्मी जोस	16.05.1969	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	समीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि
17.	सजिता जेन्नी	23.12.1976	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
18.	के रविचन्द्र	20.08.1992	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कोलेनचेरी रेंज
19.	सुहास के रमेश	14.10.1992	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि
20.	रामीस रहीम	02.04.1988	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	अंगमाली रेंज
21.	जयवीर यादव	10.03.1993	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को	एर्णाकुलम मंडल

			स्था.आदेश के अधीन	
22.	गौरव उमतिया	11.08.1995	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कवरत्ती रेंज
23.	नील कमल	01.01.1979	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.,कोच्चि
24.	मोहमद फैसल ई	25.05.1970	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	तकनीकी /डीजीए आरएम अनुभाग, मु.,कोच्चि
25.	सोनु कुमार	04.06.1988	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	पेरुम्बावूर मंडल
26.	श्रीलेखा विनोद	31.10.1972	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	विधिक अनुभाग,मु., कोच्चि
27.	विवेक ए नायर	05.11.1995	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि
28.	गोपिका कृष्णन	17.08.1997	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	सांख्यिकी /आरटीआई अनुभाग,मु.,कोच्चि
29.	मनीष पटेल	10.07.1999	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	कट्टप्पना रेंज
30.	संदीप कुमार यादव	01.07.1998	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	मून्नार रेंज
31.	गजेन्द्र कुमार मीना	31.10.1995	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था.आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
32.	रानी मरिया जॉन	08.06.1990	विधिक अनुभाग,मु., कोच्चि	काक्कनाड रेंज 2
33.	आषिन एम	03.10.1995	एर्णाकुलम रेंज 5	सिस्टम्स मु.,कोच्चि
34.	मोहित	04.10.1987	काक्कनाड मंडल	काक्कनाड रेंज 3
35.	बोक्का हनीषा	06.01.1988	काक्कनाड रेंज 3	काक्कनाड मंडल
36.	संजय	20.02.1998	मून्नार रेंज	एर्णाकुलम मंडल
37.	शबरीश के एम	29.05.1995	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि	तोडुपुया रेंज

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |

3. जीएसटीएन बैक ऑफिस में भूमिकाएं संभाल रहे अधिकारियों को **14.06.2024** से पहले उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यदि अधिकारी उक्त तिथि तक कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. दिनांक **18.06.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें ।

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/5/2023-ESTT दिनांक : 29.05.2024

आदेश सं.: 121 / 2024

विषय : - क्लर्क (कैंटीन) के श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

क्लर्क (कैंटीन) की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	निषा के एस	05.05.1981	विभागीय कैंटीन, मु.,कोच्चि	विभागीय कैंटीन, एर्णाकुलम मंडल
2.	शरतचंद्रन एन एस	20.05.1974	विभागीय कैंटीन, एर्णाकुलम मंडल	विभागीय कैंटीन, मु.,कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि: 07.06.2024 तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:14.06.2024 तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को 19.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[बिंदु सी टी]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. उप आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/मुख्यालय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि |
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2024-ESTT दिनांक : 29.05.2024

आदेश सं.: 120 / 2024

विषय : - कार्यकारी सहायक/कर सहायक /अवर श्रेणी लिपिक के श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कार्यकारी सहायक/कर सहायक /अवर श्रेणी लिपिक के श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती/.कु)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	सेतु आर,ईए	21.10.1985	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	लेखा (वेतनबिल) अनुभाग,मु.,कोच्चि
2.	गौरव प्रताप सिंह, ईए	26.07.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
3.	इंदु रमेश, ईए	08.11.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	एर्णाकुलम मंडल
4.	अत्रिपत्री विश्वतेजा,ईए	15.10.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	स्थापना अनुभाग, मु.,कोच्चि
5.	अल्गा विन्नी जेम्स,ईए	17.05.1993	लेखा (व्यय) अनुभाग,मु.,कोच्चि	पेरुम्बावूर मंडल
6.	नीरजा एस नायर,टीए	23.04.1999	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	लेखा (वेतनबिल) अनुभाग,मु.,कोच्चि
7.	हिमानी गहलोट,टीए	01.02.1999	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	लेखा (व्यय) अनुभाग,मु.,कोच्चि

8.	अभिषेक पाण्डेय,टीए	30.04.1999	पेरुम्बावूर मंडल को स्था. के आदेश के अधीन	विधिक अनुभाग, मु.,कोच्चि
9.	श्रीजित के वी,एलडीसी	14.04.1990	काक्कनाड मंडल	मुख्यालय अनुभाग,मु.,कोच्चि
10.	राकेश के आर, एलडीसी	13.05.1994	मुख्यालय अनुभाग,मु.,कोच्चि	काक्कनाड मंडल

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि: 31.05.2024 तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:11.06.2024 तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को 12.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[बिंदु सी टी]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. उप आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT दिनांक : 29.05.2024

आदेश सं.: 119 / 2024

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार के श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क हवलदार एवं हेड हवलदार के श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	अन्सारी के एम, हवलदार	25.05.1971	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	वंडीपेरियार रेंज
2.	सेल्वराज बी एम हवलदार	30.05.1968	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. के आदेश के अधीन	आलुवा मंडल
3.	पवित्रन ए के हवलदार	01.01.1966	मुख्यालय,कोच्चि	एर्णाकुलम मंडल
4.	कुंजुमोन के हेड हवलदार	08.03.1970	आलुवा मंडल	इडुक्की मंडल
5.	सेल्वम के हेड हवलदार	01.01.1968	एर्णाकुलम मंडल	मु.,कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि: **31.05.2024** तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:11.06.2024 तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

4. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को 12.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
4. अधीक्षक (सत.)/मुख्यालय, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने के लिए |
6. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/31/2020-ESTT दिनांक: 28.05.2024

आदेश सं. : 118 / 2024

विषय: सहायक सब -इंस्पेक्टर (आयुध) के श्रेणी में पदोन्नति – संबन्धित।

निम्नलिखित हेड हवलदार को भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित वेतन मैट्रिक्स में (21,700-69,100 रुपये) स्तर-3 में, अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित, समूह 'ग', सहायक सब -इंस्पेक्टर (आयुध) के रूप में नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम (श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय
1.	श्री प्रसन्नकुमार ए	28.04.1966	तिरुवनंतपुरम

2. अधिकारी को दिनांक **01.06.2024** को या उसके बाद तथा दिनांक **10.06.2024** तक पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.1999 और 27.07.2017 के अधीन वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा। एक बार अगर विकल्प दिया तो उसे अंतिम विकल्प माना जाएगा |

3. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में नियंत्रण अधिकारियों/सम्बंधित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड /तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

प्रति प्रस्तुत :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/सीसीपी
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, तिरुवनंतपुरम/सीसीपी
3. अधीक्षक (सत.)/ मुख्यालय, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी
4. अधीक्षक(सिस्टम्स)केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु
6. सचिव, केरल केंद्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ग' अधिकारी संघ, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt

आदेश सं.: 117 / 2024

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 जून, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/10/2011- Estt(D) और वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.10.2012 के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A के अनुसरण में दिनांक 21.05.2024 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई और नीचे उल्लिखित तिथि से वेतन बैंड के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्च ग्रेड वेतन में एमएसीपी योजना के तहत निम्नलिखित अधिकारी को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड /पे मैट्रिक्स स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	10.05.1964	तृतीय	25.09.2017	स्तर -11

2. इन अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन

समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.4 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगा ।

2.5 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.6 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जाएगा।

3. संबंधित डीडीओ को एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तिथि से पहले सतर्कता मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
5. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
6. सभी समूह 'ख' व 'ग' अधिकारी संघ, कोच्चि के महासचिव

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/9/2021 – Estt.

आदेश सं.: 116 / 2024

विषय : कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नेडुम्बाशेरी में वायु सीमा शुल्क अधीक्षक के रूप में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश इस के साथ तत्काल प्रभाव से दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	....कार्यालय जिसमें वर्तमान में कार्यरत है
1	रघुराज के	31.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
2	जस्टिन जोसफ	23.01.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
3	रॉय जोसफ	26.05.1968	मुख्य आयुक्त कार्यालय

2. उक्त अधिकारियां अपने नए तैनात स्थान पर कार्यग्रहण करने की तारीख से 2 (दो) वर्षों के लिए कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी में तैनात हैं |
3. कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नेडुम्बाशेरी में वायु सीमा शुल्क अधीक्षक के रूप में चयन और तैनाती के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं :
   क. विमान पत्तन पर तैनात अधिकारी समय-समय पर उनके लिए स्वीकार्य दरों पर वेतन और भत्ते लेने के पात्र होंगे।
   ख. उसे विमान पत्तन पर प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ता उसके लिए स्वीकार्य नहीं है।
   ग. आमतौर पर, विमान पत्तन पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 (दो) वर्ष है। हालाँकि, विमान पत्तन पर कार्यरत एक अधिकारी को बिना किसी कारण बताए 2 (दो) वर्ष पूरा होने से पहले वापस किया जा सकता है।
   घ. विमान पत्तन पर तैनात अधिकारी को अपनी आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
   ङ. अधिकारी नियमों के तहत स्वीकार्य वर्दी और आहार भत्ता पाने के हकदार होंगे।
   च. उच्चतर श्रेणी में उसकी पदोन्नति होने की स्थिति में, अधिकारी को अपने मूल आयुक्तालय में वापस लाया जा सकता है या इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार कहीं भी तैनात किया जा सकता है |
   छ. आदेशानुसार उसे अपने नए स्थान में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैनाती आदेश को रद्द समझा जाएगा ।

4. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र की मंजूरी से जारी किया गया है ।

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि समर्पित :

1) मुख्य आयुक्त,केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रातिलिपि

1. सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त ,सीमा शुल्क गृह, कोचिन
2. सीमा शुल्क उप /सहायक आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नेडुम्बाशेरी
3. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह, कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह, कोच्चि
5. अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता), केंद्रीय कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह, कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. हिंदी कक्ष -हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/19/2024-Estt दिनांक:- 03.06.2024

आदेश सं.: 115 /2024

विषय : ड्राईवर (ग्रेड -I) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

ड्राईवर (ग्रेड -I) के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	प्रदीप कुमार एस एस	29.05.1972	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई (सीसीओ-सीसीए)

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि: **07.06.2024** तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:13.06.2024 तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जो अधिकारी 07.06.2024 को कार्यमुक्त नहीं होगा, उसे उसी तिथि को कार्यमुक्त माना जाएगा।

3. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस अधिकारी को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वह कार्यमुक्त होने की तिथि तक सतर्कता की दृष्टि से मुक्त है।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

5. यह केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. नियंत्रण अधिकारी को दि: 14.06.2024 तक अनुपालन की रिपोर्ट देनी है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/42/2020-ESTT

आदेश सं.: 114 / 2024 शुद्धिपत्र

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के संवर्ग में स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में जारी अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 114/2024 दिनांक 22.05.2024 में;

क्रम सं.	जहां भी आदेश में निम्नलिखित तारीखों का उल्लेख किया गया है	इस प्रकार पढ़ा जाएं
1.	31.05.2024	14.06.2024
2.	11.06.2024	21.06.2024
3.	12.06.2024	24.06.2024

2. इसे सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जारी किया जाता है।

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि

6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि
7. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/अपील के उप /सहायक आयुक्त
8. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक/अपील / लेखा परीक्षा, कोच्चि
9. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक/अपील/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

आदेश सं.: 114 / 2024

विषय : - एजीटी - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुजाता एस	23.04.1973	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	गीता संतोष	25.01.1973	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
3.	सीना आई वी	31.05.1969	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	नासिन कोच्चि, सीसीओ-सीसीए
4.	शाजि स्करिया	10.01.1969	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5.	राखी नायर	12.06.1976	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

6.	बीना ए	06.04.1972	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
7.	वीरेन्द्र कुमार	01.10.1979	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
8.	संदीप सिंह	21.03.1996	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
9.	विक्रांत कुमार मीना	09.02.1993	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
10.	पंकज वरुण	20.09.1992	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
11.	षहना एम	02.03.1980	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
12.	विनया सी आर	08.05.1975	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
13.	ग्लाडिस जॉन	17.09.1979	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
14.	जिन्सी एम पी	25.05.1983	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
15.	विवेक वी	30.10.1979	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
16.	षजना खुरैषी एम एस	28.05.1974	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

			आयुक्तालय,कोचिन	
17.	निखिल टी एस	19.07.1983	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
18.	रोबिन बेबी	07.05.1970	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
19.	विश्वलक्ष्मी एस	10.05.1968	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
20.	बैजु के जी	27.05.1966	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
21.	सुनिल कुमार के	31.05.1971	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
22.	स्वप्ना वी एम	24.04.1980	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
23.	एब्रहाम कोशी टी	28.03.1982	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
24.	अभिलाष सी	27.11.1983	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
25.	के एन जयप्रकाश	10.05.1970	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
26.	बषीर अहमद	03.05.1971	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
27.	मनोज एम	20.03.1976	हवाई अड्डा /यूबी/आई	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
28.	प्रकाश उण्णिकृष्णन	30.06.1967	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
29.	कृष्णकांत रंगोलिया	29.06.1992	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
30.	बिजु के जेकब	31.05.1971	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
31.	रीना एम	15.03.1972	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
32.	मिराज के के	20.05.1972	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
33.	रामसागर मीना	08.07.1996	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
34.	के एम मनीष	16.02.1991	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
35.	कुरियन मैथ्यू	14.11.1971	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
36.	धन्या नारायणन एम	12.08.1980	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
37.	संदीप उण्णिकृष्णन	04.12.1981	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

38.	गीता कुमारी एस	07.11.1957	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि
39.	बाबु एस	30.05.1969	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
40.	दीपक कुमार	03.10.1993	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
41.	उण्णिकृष्णन के	21.04.1953	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
42.	सुमीत कुमार	09.09.1990	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीआरआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
43.	आशीष कुमार मीना	09.04.1989	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
44.	सूरज कुमार पी	16.05.1976	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
45.	अज़ीब चेन्नत	22.03.1980	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
46.	प्रेमा एन	30.05.1972	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
47.	बैजु राम पी बी	01.04.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
48.	अमित भारती	16.01.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

49.	षानिमा ए आर	30.05.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
50.	नीलकंठन शिवन ए	11.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
51.	बेन्नी एंटणी	23.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
52.	शीला कुमारी पी	01.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
53.	पी डी अजिमोल	15.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
54.	सिन्धु बाला सुधा	28.05.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
55.	प्रमीला अजित	25.05.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
56.	अजित कुमार बी एस	01.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
57.	सिन्धु के	30.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
58.	एंजेल मैरी सेरीन	11.09.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
59.	कृष्णकुमार एस	29.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

60.	जयश्री के पी	05.08.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
61.	रंजी एन	20.03.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
62.	जयश्री जी नायर	16.11.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
63.	रेजी जॉन	30.05.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
64.	रेश्मी आर	20.05.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
65.	डी आर राजी	15.11.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
66.	मैथ्यू जॉन	29.05.1969	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
67.	दिलीप कुमार	01.03.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
68.	बालेश्वर कुमार झा	02.06.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
69.	मणिकंठन वी	15.05.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
70.	नेहा मीना	19.09.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
71.	के एम हरिदास	30.03.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

72.	सलील के	06.10.1969	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
73.	जयश्री एल	20.05.1976	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
74.	अब्दुल षमीर टी के	12.04.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
75.	जिजी सिरियक	28.05.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
76.	गोपीनाथ एन पी	22.09.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
77.	जोसफ जॉन	25.04.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
78.	सहीरुधीन एन	31.05.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
79.	दिनेश एम	21.12.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
80.	लता जी	09.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
81.	पी ओ एंटणी	05.04.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
82.	मनोरंजन पी जी	26.03.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
83.	अनुपमा पी	28.10.1976	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
84.	पोतुराजु शिव प्रसाद	23.05.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

			आयुक्तालय, कोच्चि	
85.	रामचंद्रन एम के	01.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
86.	निषा जयराजन	08.03.1976	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
87.	जॉनसन टी ए	20.05.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
88.	हरिदासन पी के	31.05.1971	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
89.	सुजाता एम के	02.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
90.	रबिन्द्र कुमार	17.08.1981	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
91.	मिनी वी के	24.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
92.	सुधीर कुमार के	29.04.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
93.	पी आर सुरेश	20.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ-सीसीए
94.	हरिकृष्णन के	10.05.1969	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
95.	बालगोपाल जी	02.05.1967	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
96.	षिनोज पी	17.04.1982	डीजीजीआई, कोयिक्कोड आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
97.	बिजु पी राफेल	24.11.1966	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई,	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए

			सीसीओ-सीसीए	
98.	गोपीप्रशांत जे एस	17.05.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
99.	सुगुणन एन	25.3.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
100.	राजन बी एम	04.03.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	डीजीजीआई, कोयिक्कोड आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
101.	हरिदास आर	14.02.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
102.	हरिप्रसाद ए के	01.06.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
103.	सी जयकृष्णन	30.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
104.	गिरीश बाबु पी	30.05.1965	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
105.	बीना टी एन	31.05.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
106.	बालकृष्णन टी एस	14.09.1964	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
107.	राधा विजयराघवन	25.03.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
108.	पद्मराजन नम्बियार सी	09.05.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीसीओ-सीपीए
109.	संतोष कुमार के एस	01.05.1971	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
110.	सिन्धु एस	01.05.1970	सीसीओ(सीपीसी)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,

				तिरुवनंतपुरम
111.	स्टालिन जोसफ	25.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
112.	फिलिप वर्गीस	04.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ(सीपीसी)
113.	मेघा आर	27.05.1984	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
114.	राज खुंगुर बसुमतरी	27.12.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
115.	दीपेश जी	25.04.1984	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
116.	सबीष सी पी	25.05.1984	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
117.	प्रकाश अलेक्स	15.11.1965	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
118.	राजीव रंजन	20.02.1979	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
119.	मनोज कुमार टी वी	24.04.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
120.	राजीव पी पी	23.05.1973	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
121.	मुहम्मद रजीब के	20.10.1974	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
122.	हानसण सी सी	30.05.1980	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
123.	पी शिवरामन	15.09.1968	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
124.	टेस्सी मैथ्यूस	25.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि	शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
125.	राजीव आर सी	23.04.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
126.	अभिलाष कुमार के	20.05.1980	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
127.	रूबी साजु थॉमस	30.05.1967	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

2. क्रमांक 47 से 92 तक के अधिकारी, जो सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), कोचिन में तैनात हैं, उन्हें सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), कोचि द्वारा जारी विशिष्ट आदेशों द्वारा वायु सीमा शुल्क संरचनाओं में तैनात किया जाएगा।

3. जिन अधिकारियों को सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि से वायु सीमा शुल्क संरचनाओं में तैनात किया जाना है, उन्हें आज की तिथि तक की सतर्कता मंजूरी प्राप्त करनी होगी। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं। हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

4. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि:**31.05.2024** तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:**11.06.2024** तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |जिन अधिकारियों को दि: 31.05.2024 को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है (हवाई अड्डों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए लागू नहीं) उन्हें उसी तिथि को कार्यमुक्त माना जाएगा।

5. लेखा परीक्षा, डीजीजीआई एवं डीआरआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

6. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

7. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

8. नियंत्रण अधिकारियों को दि : **12.06.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है। |

टी जी वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/42/2020-ESTT

आदेश सं.: 113 / 2024 शुद्धिपत्र

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के संवर्ग में स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में जारी अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 113/2024 दिनांक 22.05.2024 में;

क्रम सं.	जहां भी आदेश में निम्नलिखित तारीखों का उल्लेख किया गया है	इस प्रकार पढ़ा जाएं
1.	31.05.2024	14.06.2024
2.	11.06.2024	21.06.2024
3.	12.06.2024	24.06.2024

2. इसे सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जारी किया जाता है।

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि

6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि
7. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/अपील के उप /सहायक आयुक्त
8. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक/अपील / लेखा परीक्षा, कोच्चि
9. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक/अपील/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

आदेश सं.: 113 / 2024

विषय : - एजीटी - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि	संरचना	... के लिए प्रस्तावित
1.	जैमोल के एम	19.05.1966	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
2.	सुनिल गोपिनाथन	13.06.1969	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3.	सुजाता विजयन	09.11.1977	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
4.	सिनी ब्रिजित थॉमस	11.07.1973	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5.	अजीत सिंह चौधरी	17.08.1988	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

6.	मनीष सिंह	31.01.1994	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
7.	उषा एम अय्यर	11.05.1969	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
8.	टिट्टिल मैथ्यू	23.06.1968	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
9.	रोहित सिंह	10.03.1993	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
10.	सुषा नायर	02.03.1981	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
11.	जॉन मैथ्यू	21.12.1988	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
12.	क्षितिज शमिनित तिर्की	25.03.1985	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
13.	दिव्या जी वी	14.05.1981	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
14.	जयदीप सी	17.02.1975	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
15.	रविकुमार ई	19.05.1967	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
16.	हर्षित तिवारी	03.09.1993	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

			आयुक्तालय,कोचिन	
17.	सुकुमारन एम	25.05.1974	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
18.	चेम्मनूर षैनी थॉमस	05.10.1970	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
19.	रिजोय फ्रांसीस के	31.05.1983	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
20.	एन वी श्रीकुमार	13.08.1968	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
21.	के वी माधवनकुट्टी	15.09.1974	(हवाई अड्डा/ यूबी/आई व ई, करिप्पूर), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
22.	निक्सन के ए	11.11.1969	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
23.	रोसी एम पीटर	06.08.1970	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
24.	विजी टी	20.03.1971	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
25.	श्रीनाथ पी	01.02.1990	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
26.	अजीत सिंह	01.10.1992	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
27.	मीसला किरण कुमार	26.08.1989	हवाई अड्डा /यूबी/आई	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
28.	प्रतीक सुकुमार	30.04.1991	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
29.	मुक्मल्ला सी कृष्णरेड्डी	08.08.1990	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
30.	प्रजीत के पी	19.07.1987	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
31.	अशोक कुमार एन	11.03.1965	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
32.	संदीप एस मेनोन	11.07.1991	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
33.	आदित्यन ए एम	20.01.1967	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
34.	समिन कुमार	04.02.1992	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
35.	महोहर माधव	01.07.1991	हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई,करिपुर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
36.	षेम्मी जोस	16.05.1969	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
37.	सजिता जेन्नी	23.12.1976	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

38.	अनुपमा वी	24.07.1987	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
39.	राधाकृष्णन टी के	22.01.1971	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
40.	रविन्द्र मारुती पाल्कर	16.08.1982	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
41.	के रविचन्द्र	20.08.1992	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
42.	रवि रंजन	31.12.1986	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीआरआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
43.	गौरव सिकेरवर	21.01.1990	हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
44.	नितेश	10.06.1990	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीसीओ-सीसीए
45.	सुखलाल प्रजापत	15.05.1986	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
46.	उज्वला के	25.05.1976	(हवाई अड्डा /आई व ई), कण्णूर),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
47.	आदर्श के दास	30.04.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
48.	सुधीर	30.09.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

49.	नदीरा बीवी	10.05.1973	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
50.	पवन शुक्ला	29.06.1997	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
51.	प्रवीण पी अगस्टिन	19.06.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
52.	भवनेश आज़ाद	08.08.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
53.	नवराज कुमार सोनी	28.02.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
54.	हरिकृष्णन	25.01.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
55.	सजित मोहन	20.06.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
56.	मरियम लिसा जॉन	09.01.1998	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
57.	श्रीदीप मेनोन वी पी	02.05.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
58.	राहुल शंकर	20.03.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
59.	बुरदा साई विद्यासागर	09.06.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
60.	श्रीकुमार पी एस	31.05.1982	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय	सीमा शुल्क (निवारक)

			उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	आयुक्तालय,कोचिन
61.	धर्मेन्द्र वर्मा	27.11.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
62.	अशोक पी	29.05.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
63.	शत्रुघ्न कुमार	20.10.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
64.	अनिता जोसफ	16.01.1974	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
65.	कन्हैया कुमार	10.09.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
66.	नागेन्द्र सिंह मीना	04.04.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
67.	विजय लक्ष्मण बोराडे	23.08.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
68.	जज़ील एम सी	09.10.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
69.	हरी सिंह मीना	04.08.1997	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
70.	आर्द्रा ए एस	30.05.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
71.	अल्बिन सी टी	20.03.1988	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
72.	जी दीपचंद	14.04.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

			आयुक्तालय, कोयिक्कोड	
73.	बिश्वजीत दास	06.02.1992	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
74.	अशोक कुमार मीना	01.01.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
75.	अतुल एम दास	06.08.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
76.	जितेन माली	10.09.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
77.	रोशन थॉमस जॉर्ज	10.08.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
78.	जिनु एम आर	01.10.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
79.	विजिन सी पी	08.11.1988	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
80.	प्रशांत कुमार जी	28.05.1993	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
81.	आदर्श कुमार	05.12.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
82.	दीपक सिंह टोनी	08.06.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
83.	दिव्यांश केसरवानी	26.08.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
84.	अविनाश पाण्डेय	08.07.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

			तिरुवनंतपुरम	
85.	सतनाम सिंह	25.08.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
86.	अंकित गुप्ता	30.10.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
87.	अखिल एस नायर	02.10.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
88.	श्रुति चंद्रन	03.09.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
89.	संजय पाण्डेय	10.03.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
90.	साबिन ईपन आदिचित्रा	27.09.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
91.	मैथ्यूस जॉर्ज सी	18.01.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
92.	पीयूष चौहान	29.08.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
93.	अनूप एन एम	30.05.1985	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
94.	बालगोविन्द राजीव	01.04.1989	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए	सीसीओ-सीसीए
95.	अशोक कुमार दत्ती	18.06.1989	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए	सीसीओ-सीसीए
96.	सुहास के रमेश	14.10.1992	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
97.	वैशाखन वी एस	28.07.1989	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए	शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
98.	सिद्दप्पारेड्डी तिलक रेड्डी	14.04.1989	डीजीजीआई, कोयिक्कोड आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
99.	किरण एस	05.02.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
100.	मिधुन ए	01.01.1987	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
101.	संदीप बिस्ला	02.04.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
102.	षिनुमोन अगस्टिन	25.05.1987	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
103.	अभिजीत एस	19.02.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
104.	निखिल एस बाबु	03.09.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
105.	ऐश्वर्या पी	03.03.1999	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई, कोयिक्कोड आंचलिक इकाई, सीसीओ-सीसीए
106.	दिलीप एम	22.03.1990	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	डीआरआ, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई, सीसीओ-सीसीए
107.	वैशाख एस	29.08.1990	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
108.	रमीस रहीम	02.04.1988	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
109.	जयवीर यादव	10.03.1993	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
110.	प्रतीष एम	08.02.1972	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
111.	जेक्सन सी पी	28.04.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
112.	राजन राई	18.09.1986	सीमा शुल्क (निवारक)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			आयुक्तालय,कोचिन	शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि
113.	मनोज आर	05.08.1984	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
114.	जोस टॉम के	27.07.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
115.	प्रियंका पुष्पद	01.07.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
116.	पी के अश्वनी पद्मनाभन	26.07.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
117.	बालगोपाल बी	24.01.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
118.	रमजान खान	07.08.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
119.	कृष्णा एस	06.06.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
120.	गौरव उमातिया	11.08.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
121.	जोसफ जे	30.05.1977	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
122.	नील कमल	01.01.1979	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
123.	मोहमद फैसल ई	25.05.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
124.	सोनु कुमार	04.06.1988	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
125.	डब्लियू आर अन्बु मतिका	08.08.1994	सीमा शुल्क (निवारक)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद

			आयुक्तालय,कोचिन	शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि
126.	श्रीलेखा विनोद	31.10.1972	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
127.	शिल्पा गोयल	07.03.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क. लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
128.	अनिल एस कुमार	08.02.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीसीओ-सीसीए
129.	श्रीहरी के	20.06.1997	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
130.	विवेक ए नायर	05.11.1995	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
131.	गोपिका कृष्णन	17.08.1997	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
132.	मनीष पटेल	10.07.1999	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
133.	संदीप कुमार यादव	01.07.1998	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
134.	गजेन्द्र कुमार मीना	31.10.1995	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
135.	प्रस्नजीत मुंड	16.10.2001	सीजीएलई 2023 - नई भर्ती	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

2. क्रमांक 47 से 92 तक के अधिकारी, जो सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), कोचिन में तैनात हैं, उन्हें सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), कोचि द्वारा जारी विशिष्ट आदेशों द्वारा वायु सीमा शुल्क संरचनाओं में तैनात किया जाएगा।

3. जिन अधिकारियों को सीमा शुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि से वायु सीमा शुल्क संरचनाओं में तैनात किया जाना है, उन्हें आज की तिथि तक की सतर्कता मंजूरी प्राप्त करनी होगी। संबंधित कार्यालयों [यानी, हवाई अड्डे, एसीसी (यूबी) या एसीसी (आई एंड ई)] में तैनात करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता दृष्टिकोण से साफ हैं। हवाई अड्डों/यूबी/आई एंड ई में तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए हैं।

4. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि:**31.05.2024** तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:**11.06.2024** तक अपनी नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |जिन अधिकारियों को दि: 31.05.2024 को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है (हवाई अड्डों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए लागू नहीं) उन्हें उसी तिथि को कार्यमुक्त माना जाएगा।

5. लेखा परीक्षा, डीजीजीआई एवं डीआरआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

6. क्रमांक 115 पर उल्लिखित अधिकारी को दि : 12 अगस्त 2024 को या उसके बाद ही कार्यमुक्त किया जाएँ |

7. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

8. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

9. नियंत्रण अधिकारियों को दि : **12.06.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है। |

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड़
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2024-Estt दिनांक : 22.05.2024

आदेश सं.:112/2024

विषय : -कार्यकारी सहायक/कर सहायक / अवर श्रीणी लिपिक की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां -केंद्रीय करएवंकेंद्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती /कुम.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	दुर्गेश कुमार जांगिड, ईए	15.07.1993	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चिआयुक्तालय	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2.	बोनी मैथ्यू,ईए	09.05.1988	[एसीसी(आई व ई), कण्णूर], सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय, कोचिन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
3.	दीपक कुमार,ईए	06.07.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
4.	सेतु आर,ईए	21.10.1985	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
5.	गौरव प्रताप सिंह,ईए	26.07.1989	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय
6.	राजेश एन वी,ईए	23.06.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा

			आयुक्तालय	आयुक्तालय, कोच्चि
7.	नाजिया पी ए,ईए	12.04.1986	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	डीआरआई,कोच्चि क्षेत्रीय इकाई(सीसीओ-सीसीए)
8.	इंदु रमेश,ईए	08.11.1973	डीआरआई,कोच्चि क्षेत्रीय इकाई(सीसीओ-सीसीए)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
9.	अत्रिपत्री विश्वतेजा, ईए	15.10.1991	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
10.	निखिल सी बाबु,टीए	29.01.1994	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	डीआरआई,कोच्चि क्षेत्रीय इकाई(सीसीओ-सीसीए)
11.	किरण जी पिल्लै,टीए	14.10.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरमआयुक्तालय	सीसीओ-सीसीए
12.	नीरजा एस नायर, टीए	23.04.1999	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चिआयुक्तालय
13.	हिमानी गहलोट, टीए	01.02.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
14.	मुहम्मद मसूद वी पी.,एलडीसी	24.05.1995	डीआरआई,कोच्चि क्षेत्रीय इकाई(सीसीओ-सीसीए)	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
15.	बालु पी मणी,एलडीसी	18.11.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि:31.05.2024 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:11.06.2024 तक अपने नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |जिन अधिकारियों को दि: 31.05.2024 को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है उन्हें उसी तिथि को कार्यमुक्त माना जाएगा।

3. लेखापरीक्षा, डीजीजीआई एवं डीआरआई कार्यालयों मेंतैनातअधिकारियोंकेसंबंधमें, नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. नियंत्रण अधिकारियों को दि :12.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है। |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्यआयुक्त,केन्द्रीयकर,केंद्रीयउत्पादशुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरमक्षेत्र
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कआयुक्त, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/लेखापरीक्षा
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

प्रति

1. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतनएवंलेखाअधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT दिनांक : 22.05.2024

आदेश सं.: 111 / 2024

विषय : - बहुकार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस) के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बहुकार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस) संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (श्री)	जन्म तिथि	संरचना	... के लिए प्रस्तावित
1.	सवाई सिंह मीना	20.06.1990	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ-सीसीए

2. पर्यवेक्षी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को **दि:31.05.2024** तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त करना है | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा | आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दि : 07.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट करें

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिककोड़
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
6. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ नासिन /डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,उप/सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/अपील /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षाअपील आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा/अपील आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत./मु.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिककोड़/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा/अपील आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 15.05.2024**

स्थापना आदेश सं.:110/2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90675)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडरमें नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गएइस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जन जाति** श्रेणीके अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.Bदिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारानामांकित किए गए उम्मीदवार,**श्री गजेन्द्र कुमार मीना** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप मेंवेतन मैट्रिक्सके स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400)में दिनांक**08.05.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्तएवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मीना को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों**के अनुसारउम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में,**श्री गजेन्द्र कुमार मीना** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्व[redacted] दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री गजेन्द्र कुमार मीना,
हाउस सं.2F32, महावीर नगर,
ट्ण्टीण कोटा, थाना -महावीर नगर तृतीय,
कोटा राजस्थान -324009

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 15.05.2024**

स्थापना आदेश सं.:109/2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90682)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडरमें नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गएइस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग **(ओबीसी)**श्रेणीके अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.Bदिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारानामांकित किए गए उम्मीदवार,**श्री संदीप कुमार यादव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप मेंवेतन मैट्रिक्सके स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400)में दिनांक **03.05.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्तएवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री संदीप कुमार यादवको सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों**के अनुसारउम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में,**श्री संदीप कुमार यादव**स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्व[redacted] दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,
श्री संदीप कुमार यादव,
4/1664, विकास नगर, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश -226022

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 15.05.2024**

स्थापना आदेश सं.:108 /2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90704)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023'के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडरमें नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गएइस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग **(ओबीसी)**श्रेणीके अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.Bदिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारानामांकित किए गए उम्मीदवार,**श्री मनीष पटेल** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप मेंवेतन मैट्रिक्सके स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400)में दिनांक **01.05.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्तएवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री मनीष पटेल को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों**के अनुसारउम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में,**श्री मनीष पटेल** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मनीष पटेल,
BJ - 146, BJ ब्लाक, सेक्टर -2,
डाक घर एवं थाना - बिधान नगर,
उत्तर 24 परगनास, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल - 700091

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 15.05.2024**

स्थापना आदेश सं.:107/2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90745)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023'के माध्यम से केंद्रीयकर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडरमें नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गएइस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित **(यूआर)**श्रेणीके अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.Bदिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारानामांकित किए गए उम्मीदवार,**कु.गोपिका कृष्णन**को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप मेंवेतन मैट्रिक्सके स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400)में दिनांक**29.04.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्तएवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु.गोपिका कृष्णन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों**के अनुसारउम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में,**कु.गोपिका कृष्णन**स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु.गोपिका कृष्णन,
नियति पेयुमकाटिल हाउस,
डाक घर मुडुर, वट्टमकुलम के रास्ते,
तालुक -पोन्नानी, मलप्पुरम, केरल,
पिनकोड 679578

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 15.05.2024**

स्थापना आदेश सं.:106 /2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90752)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023'के माध्यम से केंद्रीयकर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडरमें नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गएइस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित **(यूआर)**श्रेणीके अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं.A-12034/SSC/07/2022-Ad.III.Bदिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारानामांकित किए गए उम्मीदवार,**श्री विवेक ए नायर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप मेंवेतन मैट्रिक्सके स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400)में दिनांक **17.04.2024 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र,पूर्ववृत्तएवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री विवेक ए नायर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों**के अनुसारउम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री विवेक ए नायर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री विवेक ए नायर,
अनारिल, अम्मन कोविल रोड,
पश्चिम गेट, एट्टुमानूर डाकघर,
कोट्टयम, केरल,
पिनकोड 686631

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कलेखा परीक्षा,कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),कोच्चि
4. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीयउत्पाद शुल्कअपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2020-Estt दिनांक : 22.05.2024

आदेश सं.:105 /2024

विषय : प्रशासनिक अधिकारी के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	दीपा प्रेमकुमार	22.05.1975	अपील आयुक्तालय, कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार के साथ केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परीक्षा,कोच्चि	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
2.	इंदुलेखा पी	21.10.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	अपील आयुक्तालय, कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार के साथ केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लेखा परीक्षा,कोच्चि

2.अधिकारियों को दि: **31.05.2024** तक अपनी वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. दि :07.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं,केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/ अपील/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चिकेसभी मंडलकार्यालयोंकेप्रभारीउप/सहायकआयुक्त
2. उप/सहायकआयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. मुख्यलेखाअधिकारी/वेतनएवंलेखाअधिकारी,केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-Estt दिनांक : 22.05.2024

आदेश सं.:104/2024

विषय : -हवलदार एवं हेड हवलदार की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार एवं हेड हवलदार के संवर्गों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री.)	जन्म तिथि	वर्तमान आयुक्तालय	..को तैनात
1.	कमारुद्दीन पी हेड हवलदार	05.10.1970	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2.	अंसारी के एम हवलदार	25.05.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
3.	सेल्वराज बी एम हवलदार	30.05.1968	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दि:31.05.2024 तक अपने वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होना है तथा दि:11.06.2024 तक अपने नई तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे | जिन अधिकारियों को दि: 31.05.2024 को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है उन्हें उसी तिथि को कार्यमुक्त माना जाएगा।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |आज की तारीख में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दि :12.06.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है। |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं,केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/ अपील/ लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/कोच्चि

प्रति

1. केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चिकेसभी मंडलकार्यालयोंकेप्रभारीउप/सहायकआयुक्त
2. उप/सहायकआयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
3. मुख्यलेखाअधिकारी/वेतनएवंलेखाअधिकारी,केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोयिककोड़/सीमा शुल्क (निवारक)/लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt. **दिनांक :03.05.2024**

आदेश सं.:103/2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	अभिषेक पाण्डेय	30.04.1999	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्च आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	पेरुम्बावूर मंडल

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. उप आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,पेरुम्बावूर मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **दिनांक:01.05.2024**

स्थापना आदेश सं.:102 /2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/90755)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी)के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 -संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **कु. हिमानी गहलोट**, **अनुसूचित जाति श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं.A-12025/2/2023 -एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्सके स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100)में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **29.04.2024 (अपराह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2. **कु. हिमानी गहलोट** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधिको बढ़ाया जा सकता है ।
3.यदिपरिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहलेया पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरानकभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता हैया ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिनाऔर भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गतया उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणाके बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में

सुनाए गए फैसले के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल एवं अन्य द्वारा दायर एल.पी.ए. संख्या 202/2024 के परिणाम के अधीन होगी।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु. हिमानी गहलोट,
सुपुत्री श्री रामकिशन,
फ्लैट नं.5, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं.188,आस्था अपार्टमेंट्स,
सावित्री नगर, डाक घर एवं थाना - मालविया नगर,
दक्षिण दिल्ली ,दिल्ली -110017

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्कएवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्यलेखाअधिकारी /वेतनएवंलेखाअधिकारी /प्रशासनिकअधिकारी) डी.डी.ओ ,(. केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,मु.,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2020-Estt दिनांक : 23.04.2024

स्थापना आदेश सं.: 101/ 2024

विषय:केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 9 /2024 दिनांक 16.01.2024 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तन दि : 01.05.2024 से प्रभावी होने का आदेश इस के साथ दिया जाता है:

2. श्री सुदर्शन नानासाहेब सोनावने,सहायक आयुक्त को सिस्टम्स, तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरऍफ़डी एवं सांख्यिकी विधिक का प्रभार सौंपा गया है।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	का.व सत., सिस्टम्स, प्रशासन एवं लेखा	शरतचंद्रन एम	शांति वी
2	आर बैजु	न्यायनिर्णयनऔर डीजीएआरएम	राजा टोमी	शरतचंद्रन एम
3	रंजित शांतकुमार	समीक्षा,आधारिक संरचना, कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	अजिता पी	राजा टोमी
4	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने	सिस्टम्स, तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरऍफ़डी एवं सांख्यिकी	रंजित शांतकुमार	अजिता पी
5	अजिता पी	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर बैजु	रंजित शांतकुमार
6	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं सत्यापन कक्ष	सी.टी. बिंदु	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने
7	राजा टोमी	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण	शांति वी	आर बैजु
8	शांति वी	विधिक	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने	सी.टी. बिंदु

9	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	माया कुरियन	रामस्वामी एस
10	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	रामस्वामी एस	अनिल राज आर
11	रामस्वामी एस	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	हारिसण एंटणी
12	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	माइकल टी एच
13	शशिधरन	त्रिश्शूर मंडल	माया चंद्रन	माया कुरियन
14	अनिल राज आर	पेरुम्बावूर मंडल	माइकल टी एच	शशिधरन
15	माइकल टी एच	इडुक्की मंडल	अनिल राज आर	रामस्वामी एस

[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभीअपर/ संयुक्तआयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु .कोच्चि - वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

आदेश सं.:100 /2024

विषय : -केंद्रीय करएवंकेंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक /निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

दि :15.02.2024 के आदेश संख्या 28/2024 के अनुक्रम में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक / निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बिजु जॉर्ज पी, अधीक्षक	01.02.1971	सतर्कता अनुभाग, मु.कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित सतर्कता अनुभाग
2.	टोजो डेविस, अधीक्षक	18.10.1968	स्थापना अनुभाग, मु.,कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित स्थापना अनुभाग
3. ,	के रघुराज, अधीक्षक	31.05.1965	अपवंचनरोधी, मु.,कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित अपवंचनरोधी
4.	निखिल एस बाबु निरीक्षक	03.09.1994	सतर्कता अनुभाग, मु.कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित सतर्कता अनुभाग
5.	सनूप कुमार एन निरीक्षक	16.11.1992	सत्यापन कक्ष	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित सत्यापन कक्ष

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तक कुछ उच्च मूल्य के मामलों की वसूली के विशेष कार्य के साथ अगले आदेश तक बकाया कक्ष से संबद्ध किया गया है।

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt. **दिनांक :23.04.2024**

आदेश सं.:99/2024

विषय : कर सहायक की श्रेणी में तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	अभिषेक पाण्डेय	30.04.1999	कार्यग्रहण पर	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्च आयुक्तालय

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. अधीक्षक((सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/195/2024 -VIG दिनांक : 15.05.2024

सतर्कता परिपत्र सं. 02/2024

विषय : - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम,निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन - सम्बंधित |

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रभावी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में निर्देश दिया है कि कामकाजी महिलाओं के लैंगिक समानता के अधिकार के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सभी कार्यस्थलों पर इस संबंध में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

अतः जानकारी हेतु एवं सख्त अनुपालन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं।

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम,निषेध व निवारण) अधिनियम 2013
2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम,निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 के तहत नियम
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम,निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 पर पुस्तिका

यह निर्देश दिया जाता है कि आपके अधीन सभी अधिकारियों को उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में जागरूक किया जाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं कि महिलाओं को कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उचित कार्य स्थितियां प्रदान की जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए प्रतिकूल कार्य वातावरण न हो तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी महिला कर्मचारी के पास यह मानने का कोई उचित आधार न हो कि उसके रोजगार के संबंध में उसे कोई असुविधा हो रही है।

टी.जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में प्रति प्रस्तुत है :

1. **अपर /समुक्त आयुक्त , कोच्चि आयुक्तालय**
2. **सभी उप /सहायक आयुक्त ,मु. कोच्चि**

3. सभी उप /सहायक आयुक्त , कोच्चि सीजीएसटी आयुक्तालय के अधीन कार्यरत सभी मंडल कार्यालय

4. सभी अनुभाग प्रमुख, कोच्चि सीजीएसटी आयुक्तालय

5. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]

प्रति प्रस्तुत है :

1 मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर ,केंद्रीय उप्ताद शुल्क एवं सीमा शुल्क , तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/42/2020 -ESTT

परिपत्र

कृपया ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गजटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स केरल यूनिट द्वारा माननीय कैट, एर्नाकुलम बेंच के समक्ष दायर ओए नंबर 862/2018 में एमए नंबर 538/2022 का संदर्भ लें, जिसमें प्रतिवादियों को एसोसिएशन में शामिल होने की उनकी तारीख पर ध्यान दिए बिना, अपने सभी सदस्यों पर ओए नंबर 862/2018 के दिनांक 26.02.2019 के आदेश को प्रभावी करने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 26.02.2019 के आदेश के तहत प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया था कि 4800 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ कार्यरत उन आवेदकों को 4 वर्ष की सेवा के बाद सभी परिणामी लाभों के साथ 5400 रुपये का ग्रेड वेतन प्रदान करें।

विभाग ने माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित एसोसिएशन के सदस्यों को लाभ प्रदान किया। अब, माननीय न्यायाधिकरण ने एमए 538/2022 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिनांक 08.09.2023 के आदेश के तहत टिप्पणी की है कि "न्यायालय द्वारा अपनाए गए रुख से यह बहुत स्पष्ट है कि इरादा सभी समान पदस्थ कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का था। हमारे सुविचारित मत के अनुसार, सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, जिन्होंने उक्त वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 5400/- रुपए का वेतन पाने के हकदार हैं। इसलिए, प्रतिवादी सभी समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। इस निर्देश के साथ, एम.ए. का निपटारा किया जाता है।"

अब, बोर्ड ने अपने पत्र A23011/44/2020-Ad.IIA-भाग (2) दिनांक 29.02.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सूचित किया है कि व्यय विभाग ने समान स्थिति वाले व्यक्तियों के अदालती आदेश को लागू करने की सलाह दी है, बशर्ते अदालती आदेश WP संख्या 13225/2010 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.09.2010 के आदेश में शामिल मामले के समान हों। पत्र में उल्लिखित मामलों की सूची में माननीय न्यायाधिकरण के एम.ए. संख्या 538/2022 के आदेश को भी शामिल किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में, सभी आयुक्तालयों से अनुरोध है कि वे एमए संख्या 538/2022 में माननीय न्यायाधिकरण के आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, ओए 862/2018 के आदेश के साथ पढ़ें, जिसमें अधीक्षक ग्रेड के सभी अधिकारियों को लाभ प्रदान किया गया है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न : यथोपरी

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

प्रति प्रस्तुत है :

1 मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर ,केंद्रीय उप्ताद शुल्क एवं सीमा शुल्क , तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उप्ताद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
3 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उप्ताद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उप्ताद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
5 सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ,कोच्चि
6 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उप्ताद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
7 आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उप्ताद शुल्क(अपील), कोच्चि
8 अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई , तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि
9 अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि आयुक्तालय [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]
10 राजभाषा कक्ष , कोच्चि आयुक्तालय - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/11/1/2020-Estt **Dated: 27.06.2024**

ORDER NO. 145/2024

Sub: Confirmation in the grade of Tax Assistant - Reg

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Tax Assistants of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri./Kum./Smt.)	Date of birth	Date of confirmation
1.	S. Anand	13.06.1992	01.03.2023
2.	Rohit Kumar Rai	30.10.1991	01.03.2023
3.	Parvin Kumar	15.08.1995	01.03.2023
4.	Binu Varghese	01.07.1971	01.03.2023
5.	V.R. Rajesh	23.06.1975	01.03.2023
6.	Vaishakh Viswanath	16.11.1995	17.11.2023
7.	Nikhil C. Babu	29.01.1994	13.10.2023
8.	Aiswarya Mathew	27.11.1994	13.10.2023
9.	Susmitha John	09.02.1995	15.11.2023

done 18/07/2024

10.	Geejomon P.J.	23.11.1970	20.10.2023
11.	Pathayathil Satheesh Kumar	23.04.1977	29.10.2023
12.	Chinchu C.	10.06.1991	27.05.2024

2. Necessary entries may be made in the service book of the individuals.

3. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 27-06-2024 17:14:39

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/Thiruvananthapuram.**
3. **The Additional Director General, DGGI, Kochi Zonal Unit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/28/2020 – Estt **Date: 27.06.2024**

ORDER NO. 144/2024

Sub: Promotion to the grade of Tax Assistant – Reg

The following Head Havaldar is hereby promoted to the grade of Tax Assistant in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Date of Birth	Present place of posting
1.	Naveen Kumar T.S. (SC)	31.05.1968	Kozhikode Commissionerate

2. The officer should join the promoted post on or before **12.07.2024** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **19.07.2024**.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 27-06-2024 17:09:17

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

done 19/07/2024

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi/Kozhikode.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

ORDER No. 143/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent and Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

In partial modification to orders 122/2024, 123/2024 & 141/2024 the following transfer & posting in the cadre of Superintendent and Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

S No	Name	Designation	D.O.B	From	To
1.	SWAPNA V M	Superintendent	24.04.1980	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 4
2.	K M MANEESH	Superintendent	16.02.1991	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 1
3.	AKSHAY SINGH BHADAURIA	Superintendent	26.10.1990	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 5
4.	KSHITIZ SHAMINIT TIRKEY	Inspector	25.03.1985	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 5
5.	MEESALA KIRAN KUMAR	Inspector	26.08.1989	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 3

19/07/2024

6.	JAIVEER YADAV	Inspector	10.03.1993	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 6
7.	SANJAY	Inspector	20.02.1998	*UoT to Ernakulam Division*	Ernakulam Range 3
8.	KHYATI ARYA	Inspector	25.06.1994	Ernakulam Range 5	Ernakulam Division

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. The controlling officers are to report compliance by 08.07.2024.

Signed by Venkatesh T G
Date: 27-06-2024 17:42:45

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 27.06.2024**

ORDER NO. 142/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Lower Division Clerk is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Afsal P.K.	27.11.1992	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate

2 . The above order should be complied with latest by 05.07.2024 and the compliance report should reach this office by 12.07.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 27-06-2024 16:44:21

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

done 19/07/2024

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode/Appeals.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Kozhikode/Appeals.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 141 /2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Order No.132/2024 dated 14.06.2024,the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	AKSHAY SINGH BHADAURIA	26-10-1990	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Ernakulam Division
2	KAPIL GARG	25-06-1990	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Perumbavur Division
3	PHILIP VARGHESE	04-05-1966	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Kakkanad Division

Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

22/07/2024

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. The controlling officers are to report compliance by 08.07.2024.

Signed by Venkatesh T G
Date: 25-06-2024 14:26:44

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

ORDER No. 140/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In partial modification to Order No 122/2024, the following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

S No	Name	D.O.B	From	To
1	SREENATH P	01.12.1990	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Technical/ DGARM Section, Hqrs Kochi
2	ROSY M PETER	06.08.1970	*UoT to Ernakulam Division*	Amballur Range
3	NIXON K A	11.11.1969	*UoT to Kakkanad Division*	Perumbavur Division
4	REVIKUMAR E	19.05.1967	*UoT to Chembukkavu Range*	Irinjalakuda Range
5	CHEMMANOOR SHINEY THOMAS	05.10.1970	*UoT to Amballur Range*	Chembukkavu Range

22/07/2024

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. Report compliance by 08.07.2024.

Signed by Venkatesh T G
Date: 25-06-2024 14:28:45

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt **Date: 24.06.2024**

ORDER NO. 139/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-I – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-I is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Amit Kumar	15.09.2000	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	CCO-CCA

2 . The above order should be complied with latest by 28.06.2024 and the compliance report should reach this office by 05.07.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by Rani C R
Date: 24-06-2024 17:48:24

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

done 22/07/2024

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and**

Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Audit.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT **Date: 24.06.2024**

ORDER NO. 138/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Sawai Singh Meena	30-06-1990	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Audit, Kochi

2. This is issued with the approval of the Competent Authority.

3. Hindi Version follows.

Signed by Rani C R
Date: 24-06-2024 17:45:24

[Rani C.R.]
Additional Commissioner (P&V)

done 22-07-2024

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Audit Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Official Language Section – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **Date: .06.2024**

ORDER NO. 137/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar and Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & posting in the grades of Havaldar and Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Vineetha T.V., Havaldar	01.03.1979	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Ernakulam Division
2.	Sawai Singh Meena, Multi-Tasking Staff	30-06-1990	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Tax Arrears Recovery Section, Hqrs, Kochi

2. This is issued with the approval of the Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 21-06-2024 13:26:31

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

To:
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)
Copy submitted to:
1 . The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

done 22/07/2024

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

2. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.

3. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi.

4. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Kochi.

5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.

6. Official Language Section – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(25)/38/2020-ESTT. **Date: .06.2024**

ORDER No. 136/2024

Sub: Voluntary retirement from service in respect Shri Jayakrishnan C, Superintendent, Palakkad Division, Kozhikode Commissionerate - reg.

In terms of the provisions of Rule 43 of CCS (Pension) Rules, 2021, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri Jayakrishnan C, Superintendent, Palakkad Division, Kozhikode Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from 31.07.2024 A.N subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 01.05.2024.

2. All dues in respect of Shri Jayakrishnan C, Superintendent pending, if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by
Bindu C T
Date: 20-06-2024 16:32:49

(C.T. BINDU)
DEPUTY COMMISSIONER (P&V)

To:
Shri Jayakrishnan C, Superintendent, (Through the Supervisory Officer concerned) Palakkad Division, Kozhikode Commissionerate.

done 22/07/2024

Copy submitted to:
1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner, Palakkad Division –** He may obtain the 'No due certificate' from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Kozhikode Commissionerate, Kozhikode.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Palakkad Division.**
4. **The Superintendent (Confl./Vig.), Kozhikode Commissionerate, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2022-Estt **Date: 20.06.2024**

ORDER NO. 135/2024

Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg

Consequent on the issue of Office Order No. 45/2024 dated 07.03.2024 by CBIC and Office Order No. 17/2024 (DGHRD/ADC-JC/110/2024) dated 30.05.2024 by the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, the following work allocation among Additional/Joint Commissioners of Kochi CGST & CX Commissionerate is hereby ordered with immediate effect until further orders.

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	Link Officer
1.	Rani C.R., Additional Commissioner	Establishment, Personnel & Vigilance, Anti Evasion, Prosecution, Headquarters, Sports, Technical, Statistics & Intelligence, Parliament Questions, RFD, Adjudication Cell, DGARM, Systems, Systems Manager, CRU, Official Language, GST Seva Kendra, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Verification Cell, Administration, Bhavishya, Accounts; Supervision of Ernakulam, Chalakudy and Thrissur Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner (CGST & CX, Cochin Commissionerate).	Kommisetty Muralidhar, Joint Commissioner

dow 24/07/2024 09/08/2024

2.	Kommisetty Muralidhar, Joint Commissioner	Audit, Tax Arrears Recovery, Training, Right to Information Act (RTI), Review, Legal, CAT; Supervision of Aluva, Perumbavoor, Idukki and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner (CGST & CX, Cochin Commissionerate).	Rani C.R., Additional Commissioner

4. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 20-06-2024 12:36:40

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**
5. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **Date: 20.06.2024**

ORDER NO. 134/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar and Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer and posting in the grades of Havaldar and Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Vineetha T.V., Havaldar	01.03.1979	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	Sawai Singh Meena, Multi-Tasking Staff	30-06-1990	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi Version follows.

Signed by Rani C R
Date: 20-06-2024 13:55:37

[Rani C.R.]
Additional Commissioner (P&V)

done 09/08/2024

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.

3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.

5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.

6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.

7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.

3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.

7. Official Language Section – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2024-Estt **Date: 21.06.2024**

ORDER NO. 133/2024

Sub: Transfer and postings in the grade of Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grade of Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Sreejith K.V.	14.04.1990	UOT to Headquarters Section, Hqrs Kochi	Retained at Kakkanad Division
2.	Rakesh K.R.	13.05.1994	UOT to Kakkanad Division	Retained at Headquarters Section, Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 21-06-2024 09:47:24

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

done 09/08/2024

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 132/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	ASHOK KUMAR	31-12-1985	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	HAMEED K K	10-04-1974	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
3	SANDEEP NAIN	21-05-1985	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
4	SALIM KUMAR S	20-05-1969	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

done 09/08/2024 12

5	AKSHAY SINGH BHADAURIA	26-10-1990	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
6	SUJATHA VIJAYAN	09-11-1977	On promotion	CCO-CPC
7	ARJUN KRISHNA	03-02-1988	On promotion	CCO-CPC
8	KAPIL GARG	25-06-1990	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
9	SONU KUMAR	04-06-1988	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
10	DIBIN BABU K JOHNSON K GEORGE	25-04-1989	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
11	RAMJAN KHAN	07-08-1991	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
12	PRAMILA AJITH	25-05-1971	UOT to Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (Airport, Thiruvananthapuram)	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
13	GEETHA E	09-06-1968	CCO-CPC	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

14	RAJESWARI M	25-05-1970	CCO-CPC	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
15	PHILIP VARGHESE	04-05-1966	UOT to CCO-CPC	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
16	JAYAKRISHNAN C	30-05-1967	UOT to Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Retained at Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **21.06.2024.** Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. In case of officers posted to Audit Commissionerate, the Controlling Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The controlling officers are to report compliance by **25.06.2024.**

Signed by Venkatesh T G
Date: 14-06-2024 17:49:02

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.
7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT.

ORDER No. 131 /2024

Sub: AGT - Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

In partial modification of Order No. 113/2024 dated 22.05.2024 the following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name	D.O.B	From	To
1.	SREENATH P	01.12.1990	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	MUKMALLA C KRISHNAREDDY	08.08.1990	UoT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3.	RANJAN KUMAR	07.04.1999	*CGLE 2023- New Recruit*	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

done 12/08/2024

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged

so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 28.06.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. In case of officers posted to Audit Commissionerate, the Controlling Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The Controlling officers are to report compliance by 02.07.2024.

Signed by Venkatesh T G
Date: 24-06-2024 17:40:37

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Custom Preventive/ Audit, Kochi.**

9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/39/38/2020-Estt **Date: 11.06.2024**

ORDER NO. 130/2024

Sub: Voluntary retirement from service in respect of Shri. Thomas V.T., Driver (Grade-I) - Reg.

In terms of the provisions of clause (a) under sub-rule (1) of Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the Additional Commissioner (P&V) of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit **Shri. Thomas V.T., Driver (Grade-I),** Cutoms (Preventive) Commissionerate, Cochin, to retire voluntarily from Government Service with effect from **01.09.2024** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation.

2. All dues in respect of Shri. Thomas V.T., Driver (Grade-I), pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by
Bindu C
Date: 11-06-2024 14:24:10

[C.I. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

done 12/08/2024

To

Shri. Thomas V.T.,
Driver (Grade-I),
Air Customs,
Trivandrum International Airport.

(Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner (P&V), CCP Hqrs, Cochin – (He may obtain No dues certificate from AO (DDO)/Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement).**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay and Accounts Officer, CCP Hqrs, Cochin.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Vig.), CCP Hqrs, Cochin.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**
5. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt. **Date: 10.06.2024**

ORDER No. 129/2024

Sub: Promotion to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons) – Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted as Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial level-3 (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Present Commissionerate
1.	Shri. Titus K.T.	30.05.1968	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The Officer should join the promoted post on latest by **24.06.2024**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 27.06.2024.

Signed by Rani C R
Date: 10-06-2024 18:05:00

(Rani C.R.)
Additional Commissioner (P&V)

done
13/08/2024

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.

5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, CCP.

2. The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ CCP.

3. The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi – for uploading in website.

4. Official Language Section – for Hindi Version.

5. The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER No. 128/2024

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise,Group'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

SL.NO	NAME(S/Shri/Smt)	DATE OF BIRTH
1.	Ashok Kumar	31.12.1985
2.	Hameed K.K.	10.04.1974
3.	Sandeep Nain	21.05.1985
4.	Salim Kumar S.	20.05.1969
5.	Dinesh Kumar	20.11.1989
6.	Akshay Singh Bhadauria	26.10.1990
7.	Sujatha Vijayan	09.11.1977
8.	Arjun Krishna	03.02.1988
9.	Kapil Garg	25.06.1990
10.	Sonu Kumar	04.06.1988
11.	Sandeep Kumar (SC)	04.04.1990

2. The officers mentioned above should join the higher post immediately and not later than 07.06.2024.

3. The officers who are working on Deputation/Loan basis outside Thiruvananthapuram Zone shall assume the charge of Superintendent only after re-joining in the parent Zone.

4. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 10.06.2024.

6. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 04-06-2024 17:49:27

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise,**

Thiruvananthapuram.

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.
7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT.

Order No. 127 /2024

Sub: Notional Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax, Central Excise & Customs – Reg

The following Officers of Central Tax & Central Excise are hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in pursuant to DoP&T O.M No.36012/1/2020-Estt(Res-II) dated 28.12.2023 against the vacancy reserved for PwBDs, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable.

Sl. No	Name (Shri/Smt)	Date of Birth	Vacancy Year	Remarks
1.	Smt.Vijaya T.N (OH)	13.08.1973	2016-2017	Promoted with effect from 09.03.2017 and placed below Smt.Sreekala S.K (Sl. No 39 in the DSL of Superintendents for the period from 01.01.2016 to 30-11-2023).

done 14/08/2024 19/08/2024

2.	Smt. Geetha E (OH)	09.06.1968	2017-2018	Promoted with effect from 01.12.2017 and placed above Smt.Anitha Vasu (SC) (Sl. No 60 in the DSL of Superintendents for the period from 01.01.2016 to 30-11-2023).
3.	Shri Bal Mukund (OH)	22.06.1986	2019	Promoted with effect from 01.01.2020 and placed below Shri Satyamendra Singh (SC) and above Shri Sandeep Kumar (SC) (Sl. No 120 & 121 respectively, in the DSL of Superintendents for the period from 01.01.2016 to 30-11-2023).
4.	Shri Shree Babu (OH)	06.04.1985	2021	Promoted with effect from 22.10.2021 on ad-hoc basis and placed below Shri Jackson Joseph (Sl. No 200 in the DSL of Superintendents for the period from 01.01.2016 to 30-11-2023).
5.	Shri Dorasala Jagdeesh Kumar Reddy (OH)	17.11.1986	2023	Promoted with effect from 26.07.2023 on ad-hoc basis and placed below Shri Deepak Kumar (SC) and above Shri K.M.Maneesh (SC) (Sl. No 265 & 266 respectively, in the DSL of Superintendents for the period from

				01.01.2016 to 30-11-2023).
6.	Shri Dibin Babu K Johnson K George (OH)	25.04.1989	2023	Promoted with effect from 26.07.2023 on ad-hoc basis and placed below Shri Ramsagar Meena (ST) (Sl. No 273 in the DSL of Superintendents for the period from 01.01.2016 to 30-11-2023).
7.	Shri Ramjan Khan (OH)	07.08.1991	2023	Promoted with effect from 26.07.2023 on ad-hoc basis and placed below Shri Dibin Babu K Johnson K George (OH), (Sl. No.6 above).

2. The officers will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final. No financial arrear will be admissible to them for the period from the date on which they get the benefit of notional promotion to the date of actual assumption of charge as Superintendent.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. Officers mentioned in Sl No 6 & 7 should join the higher post immediately and not later than 07.06.2024.

5. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 10.06.2024.

6. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 04-06-2024 17:48:10

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

The Individuals (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram / Kozhikode/ Kochi.
7. All Dy./Asst. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer /Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 04.06.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 126/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90698)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. RANJAN KUMAR**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.05.2024 (F.N).**

2. **SHRI. RANJAN KUMAR** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. RANJAN KUMAR** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 19/08/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.

14.6.24

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. RANJAN KUMAR
VILL- BADI TALAB , PO- PAKRIBARAW
PS- PAKRIBARAW , DIST- NAWADA ,
BIHAR, PIN - 805124

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date:04.06.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 125/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90726)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. PRASNAJIT MUND**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **17.05.2024 (F.N).**

2. **SHRI. PRASNAJIT MUND** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. PRASNAJIT MUND** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

19/08/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. PRASNAJIT MUND
AT+PO-MOTER, P.S- KOKSARA ,
DIS- KALAHANDI, ODISHA
PIMCODE - 766017

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt.

ORDER NO. 124/2024

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A- 26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officers are hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against their names.

Sl. No.	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay &pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Baiju R, Supdt.	23.04.1971	3rd	01.09.2022 *	Level 10
2.	C.J.Thomas, Supdt.	02.05.1968	3rd	20.01.2019	Level 10
3.	Geetika Chib, Supdt.	19.03.1984	1st	26.09.2023	Level 8
4.	Gaurav Vats, Supdt.	31.12.1989	1st	03.12.2023	Level 8
5.	Pankaj, Supdt	07.02.1986	1st	23.10.2022	Level 8

done 19/08/2024

6.	Maneesh K.R,Supdt.	14.07.1989	1st	29.11.2023	Level 8
7.	Suraj Gupta, Inspr	01.01.1987	1st	29.11.2023	Level 8
8.	Sandeep Nain, Inspr	21.05.1985	1st	03.12.2023	Level 8
9.	Sandeep Kumar, Inspr	07.11.1989	1st	09.12.2023	Level 8
10.	Joy Sebastian, Inspr	28.09.1985	1st	11.01.2022	Level 8
11.	Joseph J, Inspr	30.05.1977	3rd	03.04.2024	Level 8
12.	Arjun Krishna, Inspr	03.02.1988	1st	09.12.2023	Level 8
13.	Kapil Garg, Inspr	25.06.1990	1st	10.02.2024	Level 8
14.	Sonu Kumar,Inspr	04.06.1988	1st	30.12.2023	Level 8
15.	Noushad P.H, Inspector	01.01.1975	3rd	03.04.2024	Level 8
16.	Jafir Cheemadan, Exe.Assistant	30.05.1965	3rd	02.04.2017	Level 4
17.	Gopi V.R, Head Havaldar	28.05.1966	3rd	24.08.2024	Level 4
18.	Rethimol E.R, Head Havaldar	20.04.1965	3rd	11.08.2024	Level 4
19.	Sajan V.P, Head Havaldar	15.02.1965	3rd	17.08.2024	Level 4
20.	M.K.Valsan, H.Havaldar	27.01.1966	3rd	01.10.2023	Level 4

* The recommendation of the screening Committee meeting held on 09.11.2022 granting 3rd MACP on 20.11.2022 to Shri Baiju R, Superintendent is reviewed and recommended for 3rd financial upgradation under MACP in level 10 with effect from 01.09.2022 instead of 20.11.2022.

2. Financial upgradation granted to these officers are inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of the officer's old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to the officer's inter-seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of **"Senior-Junior"** is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On the officers' financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. DOP&T vide its letter D.No.62460/US(D)/2010 dated 21.07.2010 has clarified that the benefit of Non-functional Grade granted to the Superintendent (Group 'B') officers after completion of 4 (four) years would be treated/viewed as upgradation in terms of Para 8.1 of Annexure-I of DOP&T's O.M. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009 and the same would be off set against one financial upgradation under MACPS.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. Hindi version follows.

Signed by Rani C R
Date: 03-06-2024 17:24:22

(Rani C R)
Additional Commissioner (P&V)

To:
The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:
1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:
1. The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).
2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.
3. The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy/Division.
4. The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs Kochi.
5. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.
6. Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 123/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 114/2024 dated 22.05.2024 following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/Shri./ Smt.)	DOB	From	To
1	SUJATHA S	23-04-1973	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 1
2	SANDEEP SINGH	21-03-1996	*UOT to Kochi Commissionerate*	Idukki Division
3	VIKRANT KUMAR VERMA	09-02-1993	*UOT to Kochi Commissionerate*	Perumbavur Range
4	PANKAJ VARUN	20-09-1992	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kothamangalam Range
5	VINAYA C R	08-05-1975	*UOT to Kochi Commissionerate*	Chalakkudy Division

done 29/08/2024

6	JINCY M P	25-05-1983	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Division
7	SWAPNA V M	24-04-1980	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Division
8	ABRAHAM KOSHY T	28-03-1982	*UOT to Kochi Commissionerate*	Anti- Evasion, Hqrs, Kochi
9	ABHILASH C	27-11-1983	*UOT to Kochi Commissionerate*	Chembukkavu Range
10	K N JAYAPRAKASH	10-05-1970	*UOT to Kochi Commissionerate*	Paravur Range
11	BIJU K JACOB	31-05-1971	*UOT to Kochi Commissionerate*	Adjudication Section, Hqrs, Kochi
12	MIRAJ K K	20-05-1972	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kunnamkulam Range
13	RAMSAGAR MEENA	08-07-1996	*UOT to Kochi Commissionerate*	Thodupuzha Range
14	K M MANEESH .	16-02-1991	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Division
15	KURIEN MATHEW	14-11-1971	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 5
16	UNNIKRISHNAN K	21-04-1953	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 3
17	ASHISH KUMAR MEENA	09-04-1989	*UOT to Kochi Commissionerate*	Muvattupuzha Range
18	SURAJ KUMAR P	16-05-1976	*UOT to Kochi Commissionerate*	Aluva Division
19	HARIKRISHNAN K	10-05-1969	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Division

20	HARIPRASAD A K	01-06-1972	*UOT to Kochi Commissionerate*	Aluva Division
21	GIREESH BABU P	30-05-1965	*UOT to Kochi Commissionerate*	Guruvayur Range
22	RADHA VIJAYARAGHAVAN	25-03-1970	*UOT to Kochi Commissionerate*	Audit Section, Hqrs, Kochi
23	PRIYA K M	17-03-1979	Adjudication Section, Hqrs, Kochi	Legal Section, Hqrs, Kochi
24	HARIKUMAR P	24-05-1969	Chembukkavu Range	Review Section, Hqrs, Kochi
25	MANOJ KUMAR YADAV	04-07-1982	Paravur Range	Ernakulam Division
26	NARAYANI P	23-04-1970	Kunnamkulam Range	Kavaratti Range
27	ANANDAN NAIR	31-05-1967	Kakkanad Range 1	Kakkanad Division
28	PATRICE JOSEPH	17-07-1969	Audit Section, Hqrs, Kochi	Thrissur Division

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. The officers who are handling the roles in GSTN back office are not to be relieved from their present place of posting before **14.06.2024.** Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved by that date.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. Report compliance by **18.06.2024.**

Signed by Venkatesh T G
Date: 30-05-2024 11:32:54

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copies to:

1. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
4. The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT

ORDER No. 122/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to the issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 113/2024 dated 22.05.2024 following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

S No	Name	D.O.B	From	To
1	AJEET SINGH CHOUDHARY	17-08-1988	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Vandiperiyar Range
2	ROHIT SINGH	10-03-1993	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Perumbavur Division
3	KSHITIZ SHAMINIT TIRKEY	25.03.1985	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Ernakulam Division
4	JAYDEEP C	17.02.1975	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Adjudication Section, Hqrs Kochi
5	REVIKUMAR E	19.05.1967	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Chembukkavu Range

done 20/08/2024

6	HARSHIT TIWARI	03.09.1993	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Kizhakkambalam Range
7	CHEMMANOOR SHINEY THOMAS	05.10.1970	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Amballur Range
8	RIJOY FRANCIS K	31.05.1983	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Adjudication Section, Hqrs Kochi
9	K V MADHAVAN KUTTY	15.09.1974	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Thrissur Division
10	NIXON K A	11.11.1969	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Kakkanad Division
11	ROSY M PETER	06.08.1970	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Ernakulam Division
12	MEESALA KIRAN KUMAR	26.08.1989	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Ernakulam Division
13	MUKMALLA C KRISHNAREDDY	08.08.1990	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Statistics/RTI Section, Hqrs Kochi
14	PRAJITH K P	19.07.1987	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Ayyanthole Range
15	SANDEEP S MENON	11.07.1991	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Vigilance Section, Hqrs Kochi
16	SHEMMY JOSE	16.05.1969	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Review Section, Hqrs Kochi
17	SAJITHA JENNY	23.12.1976	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Aluva Division
18	K RAVICHANDRA	20.08.1992	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Kolenchery Range
19	SUHAS K RAMESH	14.10.1992	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Anti- Evasion, Hqrs Kochi
20	RAMEES RAHIM	02.04.1988	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Angamaly Range
21	JAIVEER YADAV	10-03-1993	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Ernakulam Division
22	GOURAV UMATIYA	11-08-1995	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Kavaratti Range

23	NEEL KAMAL	01.01.1979	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Audit Section, Hqrs Kochi
24	MOHAMED FISAL E	25.05.1970	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Technical/DGARM Section, Hqrs Kochi
25	SONU KUMAR	04.06.1988	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Perumbavur Division
26	SREELEKHA VINOD	31.10.1972	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Legal Section, Hqrs Kochi
27	VIVEK A NAIR	05.11.1995	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Anti- Evasion, Hqrs Kochi
28	GOPIKA KRISHNAN	17.08.1997	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Statistics/RTI Section, Hqrs Kochi
29	MANISH PATEL	10.07.1999	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Kattapana Range
30	SANDEEP KUMAR YADAV	01.07.1998	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Munnar Range
31	GAJENDRA KUMAR MEENA	31.10.1995	*UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi*	Ernakulam Division
32	RANI MARIA JOHN	08.06.1990	Legal Section, Hqrs Kochi	Kakkanad Range 2
33	ASHIN M	03.10.1995	Ernakulam Range 5	Systems, Hqrs Kochi
34	MOHIT	04.10.1987	Kakkanad Division	Kakkanad Range 3
35	BOCCA HANISHA	06.01.1988	Kakkanad Range 3	Kakkanad Division
36	SANJAY	20.02.1998	Munnar Range	Ernakulam Division
37	SHABARISH K M	29.05.1995	Anti- Evasion, Hqrs Kochi	Thodupuzha Range

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.

3. The officers who are handling the roles in GSTN back office are not to be relieved from their present place of posting before **14.06.2024.** Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved by that date.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. Report compliance by **18.06.2024.**

Signed by Venkatesh T G
Date: 30-05-2024 11:35:01

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/5/2023-Estt **Date: 29.05.2024**

ORDER NO. 121/2024

Sub: Transfer and postings in the grade of Clerk (Canteen) – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grade of Clerk (Canteen) are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Nisha K.S.	05.05.1981	Departmental canteen, Hqrs Kochi	Departmental canteen, Ernakulam Division
2.	Saratchandran N.S.	20.05.1974	Departmental canteen, Ernakulam Division	Departmental canteen, Hqrs Kochi

2 . Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 07.06.2024 and to join their new place of posting latest by 14.06.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

done 21/08/2024

5. The controlling officers are to report compliance by 19.06.2024.

6. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 29-05-2024 16:07:21

[Bindu C.T.]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2024-Estt **Date: 29.05.2024**

ORDER NO. 120/2024

Sub: Transfer and postings in the grades of Executive Assistant/ Tax Assistant/ Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt./Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Sethu R., EA	21.10.1985	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi
2.	Gaurav Pratap Singh, EA	26.07.1989	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Aluva Division
3.	Indu Ramesh, EA	08.11.1973	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam Division
4.	Athripathri Vishwa Teja, EA	15.10.1991	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Establishment Section, Hqrs Kochi

29/05/2024

5.	Alga Winny James, EA	17.05.1993	Accounts (Expenditure) Section, Hqrs Kochi	Perumbavoor Division
6.	Neeraja S. Nair, TA	23.04.1999	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi
7.	Himani Gehlot, TA	01.02.1999	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Expenditure) Section, Hqrs Kochi
8.	Abhishek Pandey, TA	30.04.1999	UOT to Perumbavoor Division	Legal Section, Hqrs Kochi
9.	Sreejith K.V., LDC	14.04.1990	Kakkanad Division	Headquarters Section, Hqrs Kochi
10.	Rakesh K.R., LDC	13.05.1994	Headquarters Section, Hqrs Kochi	Kakkanad Division

2 . Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 31.05.2024 and to join their new place of posting latest by 11.06.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. The controlling officers are to report compliance by 12.06.2024.

6. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 29-05-2024 16:09:49

[Bindu C.T.]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Perumbavoor/Aluva/Kakkanad/Ernakulam Divisions.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT Date: 29.05.2024

ORDER NO. 119/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar & Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the grades of Head Havaldar & Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Ansari K.M., Havaldar	25.05.1971	UoT to Kochi Commissionerate	Vandiperiyar Range
2	Selvaraj B.M., Havaldar	30.05.1968	UoT to Kochi Commissionerate	Aluva Division
3	Pavithran A.K., Havaldar	01.01.1966	Hqrs, Kochi	Ernakulam Division
4	Kunjumon K. Head Havaldar	08.03.1970	Aluva Division	Idukki Division
5	Selvam K., Head Havaldar	01.01.1968	Ernakulam Division	Hqrs, Kochi

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to

21/08/2024

ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **31.05.2024** and to join their new place of posting latest by 11.06.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

5. The controlling officers are to report compliance by 12.06.2024.

6. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 29-05-2024 15:02:30

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.)/Headquarters, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt. **Date: 28.05.2024**

ORDER No. 118/2024

Sub: Promotion to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons) – Reg.

The following Head Havaldar is hereby promoted as Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial level-3 (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Present Commissionerate
1.	Shri. Prasannakumar A.	28.04.1966	Thiruvananthapuram

2. The Officer should join the promoted post on or after **01.06.2024** and not later than **10.06.2024**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3 . The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 14.06.2024.

Signed by Rani C R
Date: 28-05-2024 19:11:28
(Rani C.R.)
Additional Commissioner (P&V)

R dove 21/08/2024

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ CCP.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Thiruvananthapuram/ CCP.**
3. **The Superintendent (Vig.)/ Headquarters, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ CCP.**
4. **The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi – for uploading in website.**
5. **Official Language Section – for Hindi Version.**
6. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/72/2021-ESTT

ORDER NO. 117/2024

Sub: Grant of financial up-gradation under MACP Scheme - Reg.

In pursuance to Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/10/2011-Estt(D) dated the 13th June, 2012 and Finance Ministry's letter F.No.A-26017/79/2012-Ad.II.A dated 12.10.2012, a Screening Committee Meeting was held on 21.05.2024 and granted financial up-gradation to the following officer under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band with effect from the date as mentioned below.

Sl.No	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial up-gradation is granted	Recommended grade pay & pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri. Shaji John, Joint Commissioner	10.05.1964	3rd	25.09.2017	Level 11

2. Financial up-gradation is granted subject to the following conditions:-

2.1 The financial up-gradation will not result in change in the designation of the beneficiary. i.e., the financial benefit is granted with the retention of his old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial up-gradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the officers and shall not amount to actual functional promotions of the officer. Further, it shall have no relevance to their inter-se seniority position, and as such, there shall be no additional financial up-gradation for the senior officers on the ground that the junior officer have got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of "Senior-Junior" is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

2.3 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial up-gradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such up-gradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

done 21/08/2024

2.4 On their financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, their pay shall

be fixed under F.R. 22(1)(a)(1) to get their pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of his promotion/up-gradation or from the date of his next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008.

2.5 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial up-gradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.6 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scales) based on the date of increment (i.e. 1st July of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. The DDO concerned should obtain Vigilance clearance before the date of grant of financial up-gradation under MACP.

Signed by
Rani C R
Date: 24-05-2024 17:11:34

(Rani C.R.)
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Kochi(who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).
2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs, Kochi/AO(DDO) Hqrs Kochi.
4. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.
5. Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.
6. The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/9/2021-Estt.

ORDER No. 116/2024

Sub: Transfer and posting as Air Customs Superintendent to Cochin International Airport, Nedumbassery – Reg.

The following transfer and posting to Cochin International Airport, Nedumbassery in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S./Shri/Smt.)	Date of Birth	Formation in which working at present
1	Raghuraj K	31.05.1969	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
2	Justine Joseph	23.01.1972	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
3	Roy Joseph	26.05.1968	Chief Commissioner's Office

2. The officers are posted to Cochin International Airport, Nedumbassery for a period of 2 (two) years from the date of joining the new place of posting.

3. The terms and conditions for posting at Cochin International Airport, Nedumbassery as Air Customs Superintendent are as follows:

a. The officers posted at the Airport will be eligible to draw pay and allowances at the same rates admissible to them from time to time.
b. The officers shall be considered as on deputation to the Airport, but no deputation allowance is admissible to them.

done 21/08/2024

c. Normally, the period of deputation at the Airport is 2 (two) years. However, an officer at the Airport can be reverted before completion of 2 (two) years without assigning any reason thereof.

d. The officers posted at the Airport will have to make their own arrangement for residential accommodation.

e. The officers will also be entitled to draw uniform and diet allowance as admissible under rules.

f. In the event of their promotion to the higher grade, the officers will be liable to be reverted to their parent Commissionerate or posted anywhere as may be ordered by the competent authority in this regard.

g. The officers should join the new place of posting as ordered, failing which the posting order will be treated as cancelled.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by Venkatesh T G
Date: 18-06-2024 18:30:52

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Customs, Custom House , Kochi
2. The Deputy/Asst. Commissioner of Customs, Cochin International Airport, Nedumbassery.
3. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/Custom House, Kochi.
4. The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, /Custom House, Kochi.

5. Superintendent (Confl/Vig), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Custom House, Kochi.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/19/2024-Estt **Date: 03.06.2024**

ORDER NO. 115/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Driver (Grade-I) – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Driver (Grade-I) is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Pradeep Kumar S.S.	29.05.1972	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.	DGGI, Kochi Zonal Unit (CCO-CCA)

2 . Controlling officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to be relieved from his present place of posting by **07.06.2024** and to join his new place of posting latest by 13.06.2024. Controlling officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time. The officer who is not being relieved on 07.06.2024 will be deemed to be relieved on that date.

3. The Controlling Officer shall ensure that the officer who is being relieved is clear from vigilance angle, as on date of his relief.

4. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

done 21/08/2024 22.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The controlling officer is to report compliance by 14.06.2024.

7. Hindi version follows.

Signed by Rani C R
Date: 03-06-2024 10:57:43

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Additional Director General, DGGI, Kochi Zonal Unit.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/42/2020-ESTT

CORRIGENDUM TO ORDER NO. 114/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

In the Inter Commissionerate Transfer Order No. 114/2024 dated 22.05.2024 regarding transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone;

Sl. NO	wherever the date mentioned in the order are	the same may be read as
1	31.05.2024	14.06.2024
2	11.06.2024	21.06.2024
3	12.06.2024	24.06.2024

This issues with the consent of the competent authority.

Signed by
Venkatesh Ekkur Gandasamy
Date: 30-05-2024 17:42:09

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Controlling Officer concerned)

done 22/08/2024

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.
7. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Kochi/Appeals/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
8. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Kochi/Appeals/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Kochi/Appeals/Custom Preventive/ Audit, Kochi
10. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
11. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

ORDER No. 114/2024

Sub: AGT -Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name(S/ Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	SUJATHA S	23-04-1973	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	GEETHA SANTHOSH	25-01-1973	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
3	SEENA I V	31-05-1969	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	NACIN Kochi, CCO-CCA
4	SHAJI SCARIA	10-01-1969	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

22/08/2024

5	RAKHI NAIR	12-06-1976	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
6	BEENA A	06-04-1972	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
7	VIRENDRA KUMAR	01-10-1979	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
8	SANDEEP SINGH	21-03-1996	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
9	VIKRANT KUMAR VERMA	09-02-1993	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	PANKAJ VARUN	20-09-1992	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	SHAHANA M	02-03-1980	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
12	VINAYA C R	08-05-1975	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	GLADIS JOHN	17-09-1979	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

14	JINCY M P	25-05-1983	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
15	VIVEK V	30-10-1979	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
16	SHAJANA KHURAISHI M S	28-05-1974	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
17	NIKHIL T S	19-07-1983	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
18	ROBIN BABY	07-05-1970	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
19	VISWALAKSHMI S	10-05-1968	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
20	BAIJU K G	27-05-1966	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
21	SUNIL KUMAR K	31-05-1971	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
22	SWAPNA V M	24-04-1980	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

23	ABRAHAM KOSHY T	28-03-1982	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
24	ABHILASH C	27-11-1983	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
25	K N JAYAPRAKASH	10-05-1970	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
26	BASHEER AHAMED	03-05-1971	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
27	MANOJ M	20-03-1976	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
28	PRAKASH UNNIKRISHNAN	30-06-1967	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
29	KRISHNA KANT RANGOLIYA	29-06-1992	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
30	BIJU K JACOB	31-05-1971	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
31	REENA M	15-03-1972	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

32	MIRAJ K K	20-05-1972	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
33	RAMSAGAR MEENA	08-07-1996	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
34	K M MANEESH .	16-02-1991	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
35	KURIEN MATHEW	14-11-1971	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
36	DHANYA NARAYANAN M	12-08-1980	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
37	SANDEEP UNNIKRISHNAN	04-12-1981	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
38	GEETHA KUMARI S	07-11-1957	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
39	BABU S	30-05-1969	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
40	DEEPAK KUMAR	03-10-1993	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
41	UNNIKRISHNAN K	21-04-1953	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

42	SUMIT KUMAR	09-09-1990	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DRI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
43	ASHISH KUMAR MEENA	09-04-1989	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
44	SURAJ KUMAR P	16-05-1976	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
45	AZEEB CHENNATH	22-03-1980	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
46	PREMA N	30-05-1972	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
47	BAIJU RAM P B	01-04-1972	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
48	AMIT BHARTI	16-01-1981	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
49	SHANIMA A R	30-05-1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
50	NEELAKANDAN SIVAN A	11-04-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
51	BENNY ANTONY	23-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
52	SHEELA KUMARI P	01-04-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
53	P D AJIMOL	15-04-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate,	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

			Kochi	
54	SINDHU BALA SUDHA	28-05-1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
55	PRAMILA AJITH	25-05-1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
56	AJITH KUMAR B S	01-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
57	SINDHU K	30-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
58	ANGEL MARY SERENE	11-09-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
59	KRISHNA KUMAR S	29-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
60	JAYASREE K P	05-08-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
61	RANJI N	20-03-1973	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
62	JAYASREE G NAIR	16-11-1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
63	REJI JOHN	30-05-1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
64	RESMI R	20-05-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
65	D R RAJI	15-11-1967	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
66	MATHEW JOHN	29-05-1969	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
67	DILIP KUMAR	01-03-1980	Central Tax & Central Excise	Commissionerate of Customs (Preventive),

			Commissionerate, Kozhikode	Cochin
68	BALESHWAR KUMAR JHA	02-06-1979	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
69	MANIKANTAN V	15-05-1973	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
70	NEHA MEENA	19-09-1996	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
71	K M HARIDAS	30-03-1970	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
72	SALIL K	06-10-1969	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
73	JAYASREE L	20-05-1976	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
74	ABDUL SHAMIR T K	12-04-1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
75	JIJI CYRIAC	28-05-1974	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
76	GOPINATH N P	22-09-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
77	JOSEPH JOHN	25-04-1974	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
78	SAHEERUDHEE N N	31-05-1982	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
79	DINESH M	21-12-1972	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
80	LATHA G	09-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
81	P O ANTONY	05-04-1967	Central Tax & Central	Commissionerate of

			Excise Commissionerate, Kochi	Customs (Preventive), Cochin
82	MANORANJAN P G	26-03-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
83	ANUPAMA P	28-10-1976	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
84	POTHURAJU SIVA PRASAD	23-05-1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
85	RAMACHANDRA N M K	01-05-1967	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
86	NISHA JAYARAJAN	08-03-1976	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
87	JOHNSON T A	20-05-1970	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
88	HARIDASAN P K	31-05-1971	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
89	SUJATHA M K	02-05-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
90	RABINDRA KUMAR	17-08-1981	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
91	MINI V K	24-04-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
92	SUDHEER KUMAR K	29-04-1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
93	P R SURESH	20-04-1969	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	CCO - CCA
94	HARIKRISHNAN K	10-05-1969	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

95	BALAGOPAL G	02-05-1967	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
96	SHINOJ P	17-04-1982	DGGI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
97	BIJU P RAPHEL	24-11-1966	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
98	GOPIPRASANTH J S	17-05-1982	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA
99	SUGUNAN N	25-03-1970	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA
100	RAJAN B M	04-03-1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	DGGI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA
101	HARIDAS R	14-02-1967	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
102	HARIPRASAD A K	01-06-1972	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
103	C JAYAKRISHNAN	30-05-1967	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
104	GIREESH BABU P	30-05-1965	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
105	BEENA T N	31-05-1969	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
106	BALAKRISHNAN T S	14-09-1964	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

107	RADHA VIJAYARAGHAVAN	25-03-1970	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
108	PADMARAJAN NAMBIAR C	09-05-1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	CCO - CCA
109	SANTHOSH KUMAR K S	01-05-1971	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
110	SINDHU S	01-05-1970	CCO (CPC)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
111	STALIN JOSEPH	25-05-1966	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
112	PHILIP VARGHESE	04-05-1966	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	CCO (CPC)
113	MEGHA R	27-05-1984	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
114	RAJ KHUNGUR BASUMATARY	27-12-1986	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
115	DEEPESH G	25-04-1984	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
116	SABEESH C P	25-05-1984	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
117	PRAKASH ALEX	15-11-1965	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
118	RAJIV RANJAN	20-02-1979	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

119	MANOJ KUMAR T V	24-04-1968	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
120	RAJEEV P P	23-05-1973	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
121	MOHAMMED RAJEEB K	20-10-1974	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
122	HANSON C C	30-05-1980	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
123	P SIVARAMAN	15-09-1968	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
124	TESSY MATHEWS	25-05-1967	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
125	RAJEEV R C	23-04-1980	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
126	ABHILASH KUMAR K	20-05-1980	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
127	RUBY SAJU THOMAS	30-05-1967	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

2. The Officers from Sl.No 47 to 92 who are posted to Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin will be posted to Air Customs formations by specific orders issued by the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

3. The officers who are to be posted from Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin to Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC(UB) or ACC(I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers who are to be posted to Airport/UB/ACC(I&E) are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

4. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **31.05.2024** and to join their new place of posting latest by **11.06.2024.** Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time. The officers who are not being relieved on 31.05.2024 (not applicable for officers working in Airports) will be deemed to be relieved on that date.

5. In case of officers posted to Audit Commissionerate, DGGI and DRI, the Controlling Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

6. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

7. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

8. The controlling officers are to report compliance by **12.06.2024.**

Signed by Venkatesh T G
Date: 22-05-2024 18:47:20

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/42/2020-ESTT

CORRIGENDUM TO ORDER NO. 113/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

In the Inter Commissionerate Transfer Order No. 113/2024 dated 22.05.2024 regarding transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone;

Sl. NO	Wherever the dates mentioned in the order are	The same may be read as
1	31.05.2024	14.06.2024
2	11.06.2024	25.06.2024
3	12.06.2024	26.06.2024

This issues with the consent of the competent authority.

Signed by
Venkatesh Ekkur Gandasamy
Date: 30-05-2024 17:38:56

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Controlling Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

done 22/08/24 ajit

3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Kochi/Appeals/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Kochi/Appeals/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Kochi/Appeals/Custom Preventive/ Audit, Kochi**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2024-ESTT.

ORDER No. 113/2024

Sub: AGT -Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name	D.O.B	Formation	Proposed for
1	JAIMOLE K M	19.05.1966	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
2	SUNIL GOPINATHAN	13.06.1969	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
3	SUJATHA VIJAYAN	09.11.1977	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
4	SINI BRIGIT THOMAS	11.07.1973	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

done 22/08/2024 23

5	AJEET SINGH CHOUDHARY	17-08-1988	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
6	MANISH SINGH	31.01.1994	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
7	USHA M IYER	11.05.1969	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
8	TITTLE MATHEW	23.06.1968	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
9	ROHIT SINGH	10-03-1993	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	SUSHA NAIR	02.03.1981	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
11	JOHN MATHEW	21.12.1988	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
12	KSHITIZ SHAMINIT TIRKEY	25.03.1985	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	DIVYA G V	14.05.1981	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

14	JAYDEEP C	17.02.1975	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
15	REVIKUMAR E	19.05.1967	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
16	HARSHIT TIWARI	03.09.1993	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
17	SUKUMARAN M	25.05.1974	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
18	CHEMMANOOR SHINEY THOMAS	05.10.1970	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
19	RIJOY FRANCIS K	31.05.1983	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
20	N V SREEKUMAR	13.08.1968	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
21	K V MADHAVAN KUTTY	15.09.1974	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
22	NIXON K A	11.11.1969	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

23	ROSY M PETER	06.08.1970	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
24	VIJI T	20.03.1971	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
25	SREENATH P	01.12.1990	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
26	AJEET SINGH	01.10.1992	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
27	MEESALA KIRAN KUMAR	26.08.1989	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
28	PRATEEK SUKUMAR	30.04.1991	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
29	MUKMALLA C KRISHNAREDDY	08.08.1990	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
30	PRAJITH K P	19.07.1987	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
31	ASHOK KUMAR N	11.03.1965	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

32	SANDEEP S MENON	11.07.1991	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
33	ADITHYAN A M	20.01.1967	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
34	SAMIN KUMAR	04.02.1992	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
35	MANOHAR MADHAV	01.07.1991	(Airport/UB/I&E, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
36	SHEMMY JOSE	16.05.1969	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
37	SAJITHA JENNY	23.12.1976	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
38	ANUPAMA V	24.07.1987	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
39	RADHAKRISHNA N T K	22.01.1971	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
40	RAVINDRA MARUTI PALKAR	16-08-1982	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

41	K RAVICHANDRA	20.08.1992	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
42	RAVI RANJAN	31.12.1986	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
43	GAURAV SIKERVAR	21.01.1990	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
44	NITESH	10.06.1990	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	CCO-CCA
45	SUKHLAL PRAJAPAT	15.05.1986	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
46	UJJWALA K	25.05.1976	(Airport/I&E, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
47	ADARSH K DAS	30-04-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
48	SUDHIR	30-09-1970	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
49	NADEERA BEEVI	10-05-1973	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

50	PAWAN SHUKLA	29-06-1997	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
51	PRAVEEN P AUGUSTINE	19-06-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
52	BHAWNESH AZAD	08-08-1996	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
53	NAVRAJ KUMAR SONI	28-02-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
54	HARIKRISHNAN	25-01-1992	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
55	SAJITH MOHAN	20-06-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
56	MARIAM LISA JOHN	09.01.1998	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
57	SREEDEEP MENON V P	02-05-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
58	RAHUL SANKAR	20-03-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

59	BURADA SAI VIDYASAGAR	09-06-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
60	SREEKUMAR P S	31-05-1982	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
61	DHARMENDRA VERMA	27-11-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
62	ASHOK P	29-05-1996	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
63	SHATRUGHN KUMAR	20-10-1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
64	ANITHA JOSEPH	16-01-1974	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
65	KANHAIYA KUMAR	10-09-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
66	NARENDRA SINGH MEENA	04-04-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
67	VIJAY LAXMAN BORADE	23-08-1986	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

68	JAZEEL M C	09-10-1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
69	HARI SINGH MEENA	04.08.1997	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
70	ARDRA A S	30-05-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
71	ALBIN C T	20-03-1988	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
72	G DEEPCHAND	14-04-1992	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
73	BISWAJIT DAS	06-02-1992	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
74	ASHOK KUMAR MEENA	01-01-1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
75	ATHUL M DAS	06-08-1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
76	JITEN MALI	10-09-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

77	ROSHAN THOMAS GEORGE	10.08.1991	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
78	JINU M R	01.10.1993	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
79	VIJIN C P	08-11-1988	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
80	PRASANTH KUMAR G	28-05-1993	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
81	ADARSH KUMAR	05-12-1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
82	DEEPAK SINGH TONI	08-06-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
83	DIVYANSH KESARWANI	26-08-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
84	AVANISH PANDEY	08-07-1996	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
85	SATNAM SINGH	25-08-1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

86	ANKIT GUPTA	30-10-1991	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
87	AKHIL S NAIR	02-10-1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
88	SRUTHI CHANDRAN	03-09-1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
89	SANJAY PRADEEP	10-03-1996	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
90	SABIN EAPEN ADICHITHRA	27-09-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
91	MATHEWS GEORGE C	18-01-1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
92	PIYUSH CHAUHAN	29-08-1992	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
93	ANOOP N M	30-05-1985	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
94	BALAGOVIND RAJEEV	01.04.1989	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	CCO-CCA

95	ASHOK KUMAR DATTI	18.06.1989	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	CCO-CCA
96	SUHAS K RAMESH	14.10.1992	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
97	VAISAKHAN V S	28.07.1989	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
98	SIDDAPAREDDY TILAK REDDY	14.04.1989	DGGI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
99	KIRAN S	05.02.1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
100	MIDHUN A	01.01.1987	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
101	SANDEEP BISLA	02.04.1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
102	SHINUMON AUGUSTINE	25-05-1987	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
103	ABHIJITH S	19.02.1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA

104	NIKHIL S BABU	03.09.1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Trivandrum Regional Unit, CCO-CCA
105	AISWARYA P	03.03.1999	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kozhikode Regional Unit, CCO-CCA
106	DILEEP M	22.03.1990	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	DRI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
107	VISAKH S	29-08-1990	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
108	RAMEES RAHIM	02.04.1988	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
109	JAIVEER YADAV	10-03-1993	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
110	PRATHEESH M	08-02-1972	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
111	JEXON C P	28-04-1969	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
112	RAJAN RAI	18-09-1986	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

113	MANOJ R	05-08-1984	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
114	JOSE TOM K	27-07-1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
115	PRIYANKA PUSHPAD	01-07-1992	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
116	P K ASWANI PADMANABHAN	26-07-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
117	BALAGOPAL B	24-01-1993	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
118	RAMJAN KHAN	07-08-1991	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
119	KRISHNA S	06-06-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
120	GOURAV UMATIYA	11-08-1995	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
121	JOSEPH J	30.05.1977	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

122	NEEL KAMAL	01.01.1979	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
123	MOHAMED FISAL E	25.05.1970	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
124	SONU KUMAR	04.06.1988	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
125	WR ANBU MATHIKA	08.08.1994	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
126	SREELEKHA VINOD	31.10.1972	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
127	SHILPA GOYAL	07.03.1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
128	ANIL S KUMAR	08.02.1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	CCO-CCA
129	SREEHARI K	20.06.1997	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
130	VIVEK A NAIR	05.11.1995	*CGLE 2023- New Recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

131	GOPIKA KRISHNAN	17.08.1997	*CGLE 2023- New Recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
132	MANISH PATEL	10.07.1999	*CGLE 2023- New Recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
133	SANDEEP KUMAR YADAV	01.07.1998	*CGLE 2023- New Recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
134	GAJENDRA KUMAR MEENA	31.10.1995	*CGLE 2023- New Recruit*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
135	PRASNAJIT MUND	16.10.2001	*CGLE 2023- New Recruit*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

2. The Officers from Sl.No 47 to 92 who are posted to Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin will be posted to Air Customs formations by specific orders issued by the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

3. The officers who are to be posted from Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin to Air Customs formations are subject to vigilance clearance of the officers as on date. Before posting to the respective formations [i.e., Airport, ACC(UB) or ACC(I&E)], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers who are to be posted to Airport/UB/ACC(I&E) are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

4. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **31.05.2024** and to join their new place of posting latest by **11.06.2024.** Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time. The officers who are not being relieved on 31.05.2024 (not applicable for officers working in the Airports) will be deemed to be relieved on that date.

5. In case of officers posted to Audit Commissionerate, DGGI and DRI, the Controlling Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

6. The officer at Sl.No 115 may be relieved only on or after 12 August 2024.

7. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

8. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

9. The controlling officers are to report compliance by **12.06.2024.**

Signed by Venkatesh T G
Date: 22-05-2024 18:44:32

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/16/2024-Estt **Date: 22.05.2024**

ORDER NO. 112/2024

Sub: Transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant/LDC – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt./Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Durgesh Kumar Jangid, EA	15.07.1993	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
2.	Bony Mathew, EA	09.05.1988	[ACC(I&E), Kannur], Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.
3.	Deepak Kumar, EA	06.07.1990	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
4.	Sethu R., EA	21.10.1985	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

23/08/2024

5.	Gaurav Pratap Singh, EA	26.07.1989	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
6.	Rajesh N.V., EA	23.06.1971	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
7.	Najiya P.A., EA	12.04.1986	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	DRI, Kochi Zonal Unit (CCO-CCA)
8.	Indu Ramesh, EA	08.11.1973	DRI, Kochi Zonal Unit (CCO-CCA)	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
9.	Athripathri Vishwa Teja, EA	15.10.1991	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
10.	Nikhil C. Babu, TA	29.01.1994	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	DGGI, Kochi Zonal Unit (CCO-CCA)
11.	Kiran G. Pillai, TA	14.10.1990	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	CCO-CCA
12.	Neeraja S. Nair, TA	23.04.1999	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
13.	Himani Gehlot, TA	01.02.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
14.	Muhammed Masood V.P., LDC	24.05.1995	DGGI, Kochi Zonal Unit (CCO-CCA)	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
15.	Balu P. Mani, LDC	18.11.1995	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.

2 . Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 31.05.2024 and to join their new place of posting latest by 11.06.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time. The officers who are not being relieved on 31.05.2024 will be deemed to be relieved on that date.

3. In case of officers posted to Audit Commissionerate, DGGI and DRI, the Controlling Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

6. The controlling officers are to report compliance by 12.06.2024.

Signed by Rani C R
Date: 22-05-2024 19:03:02

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode/Thiruvananthapuram/Audit.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Kozhikode/Thiruvananthapuram/Audit/CCP.**
2. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT Date: 22 .05.2024

ORDER NO. 111/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Sawai Singh Meena	30-06-1990	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	CCO-CCA

2. The Supervisory officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to be relieved from his present place of posting latest by **31.05.2024**. Supervisory officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done 23/05/24

5. Report compliance by 07.06.2024.

6. Hindi Version follows.

Signed by Rani C R
Date: 22-05-2024 19:05:30

[Rani C.R.]
Additional Commissioner (P&V)

To:
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)
Copy submitted to:
1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
7. The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:
1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Official Language Section – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date:15 .05.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 110/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90675)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. GAJENDRA KUMAR MEENA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **08.05.2024 (F.N)**

2. **SHRI. GAJENDRA KUMAR MEENA** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

done 23/08/2024

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. GAJENDRA KUMAR MEENA** is not fit for permanent absorption or if at

any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. GAJENDRA KUMAR MEENA
H.No-2F32 , MAHAVEER NAGAR,
EXTENTION KOTA ,THANA-MAHAVEER NAGAR
3rd KOTA RAJASTHAN - 324009

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **Date: 15.05.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 109/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90682)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SANDEEP KUMAR YADAV** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **03.05.2024 (F.N)**

2. **SHRI. SANDEEP KUMAR YADAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SANDEEP KUMAR YADAV** is not fit for permanent absorption or if at any

23/08/2024

time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. SANDEEP KUMAR YADAV
4/1664 , VIKAS NAGAR, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH, PIN-226022

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 15.05.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 108/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90704)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. MANISH PATEL**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.lll.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **01.05.2024 (F.N).**

2. **SHRI. MANISH PATEL** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. MANISH PATEL** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not

23/08/2024

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. MANISH PATEL
BJ-146, BJ BLOCK , SECTOR-2,
P.O +P.S - BIDHANNAGAR,
NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA,
WEST BENGAL - 700091

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 15.05.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 107/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90745)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. GOPIKA KRISHNAN**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **29.04.2024 (F.N).**

2. **Ms. GOPIKA KRISHNAN**, is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Ms. GOPIKA KRISHNAN** is not fit for permanent absorption or if at any time during

23/08/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

5. Hindi version follows.

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

Ms. GOPIKA KRISHNAN,
NIYATHI PEZHUMKATTIL HOUSE,
P O MUDUR, VIA VATTAMKULAM,
THALUK PONNANI,
MALAPPURAM, KERALA,
PIN 679578

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **Date:15.05.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 106/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90752)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. VIVEK A NAIR**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **17.04.2024 (F.N).**

2. **SHRI. VIVEK A NAIR**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. VIVEK A NAIR** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment would be subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

5. Hindi version follows.

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. VIVEK A NAIR,
ANARIL, AMMAN KOVIL ROAD,
WEST GATE, ETTUMANOOR P O,
KOTTAYAM, KERALA,
PIN 686631

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2020-ESTT Date: 22.05.2024

ORDER NO. 105/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Administrative Officer - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Administrative Officer of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Smt.)	Date of Birth	Present Comm'te	Posted To
1	Deepa Premakumar	22.05.1975	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Audit, Kochi (with additional charge of Appeals Commissionerate, Kochi)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
2	Indulekha P.	21.10.1975	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Audit, Kochi (with additional charge of Appeals Commissionerate, Kochi)

2. The above officers are to be relieved from their present place of posting latest by **31.05.2024**.
3. No representation shall be entertained from any officer before his/her joining the new place of posting.

done 22/05/2024

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
5. Report compliance by 07.06.2024.
6. Hindi Version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 22-05-2024 18:41:14 [T.G. Venkatesh]
Commissioner

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Appeals/Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kochi/ Kozhikode/Audit/ Appeals/Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Official Language Section – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT Date: 22.05.2024

ORDER NO. 104/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Kamarudden P. Head Havaldar	05.10.1970	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	Ansari K.M., Havaldar	25.05.1971	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
3.	Selvaraj B.M., Havaldar	30.05.1968	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

done 26/05/2024

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by 31.05.2024 and to join their new place of posting latest by 11.06.2024. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved

within the stipulated time. The officers who are not being relieved on 31.05.2024 will be deemed to be relieved on that date.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

5. The controlling officers are to report compliance by 12.06.2024 .

Signed by Rani C R
Date: 22-05-2024 19:07:27

[Rani C.R.]
Additional Commissioner (P&V)

To:
The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ NACIN/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Official Language Section – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date: 03.05.2024**

ORDER NO. 103/2024

Sub: Posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Abhishek Pandey	30.04.1999	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Perumbavoor Division

2. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 03-05-2024 17:05:21

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

done 26/08/2024

1. **The Deputy Commissioner, Central Tax and Central Excise, Perumbavoor Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance),**

Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **Date: 01.05.2024**

ORDER NO. 102/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/90755)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Ms. Himani Gehlot,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **SC category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **29.04.2024 (A.N.).**

2. **Ms. Himani Gehlot** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 26/08/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of LPA No.202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High Court of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition(C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court.

6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 01-05-2024 15:01:21

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Ms. Himani Gehlot,
D/o Shri. Ramkishan,
Flat No. 5, 2nd Floor,
Building No. 188, Astha Apartments,
Savitri Nagar, PO & PS: Malviya Nagar,
South Delhi, Delhi-110017.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 23.04.2024**

ORDER NO. 101/2024

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to Order No. 9/2024 dated 16.01.2024, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered with effect from 01.05.2024.

2 . Shri. Sudarshan Nanasaheb Sonawane, Assistant Commissioner is assigned the charge of Systems, Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	C.T. Bindu	P&V, Administration & Accounts	Sarath Chandran M.	Shanthi V.
2.	R. Shyju	Adjudication & DGARM	Raja Tomy	Sarath Chandran M.
3.	Ranjit Santakumar	Review, Infrastructure, Welfare, Sports & Headquarters	Ajitha P.	Raja Tomy

done 25/04/2024

4.	Sudarshan Nanasaheb Sonawane	Systems, Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Ranjit Santakumar	Ajitha P.
5.	Ajitha P.	Audit & Tax Arrear Recovery	R. Shyju	Ranjit Santakumar
6.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution & Verification Cell	C.T. Bindu	Sudarshan Nanasaheb Sonawane
7.	Raja Tomy	CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	Shanthi V.	R. Shyju
8.	Shanthi V.	Legal	Sudarshan Nanasaheb Sonawane	C.T. Bindu
9.	Maya Chandran	Aluva Division	Maya Kurian	Ramaswamy S.
10.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Ramaswamy S.	Anil Raj R.
11.	Ramaswamy S.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Harrison Antony
12.	Maya Kurian	Chalakudy Division	Sasidharan	Michael T.H.
13.	Sasidharan	Thrissur Division	Maya Chandran	Maya Kurian
14.	Anil Raj R.	Perumbavoor Division	Michael T.H.	Sasidharan
15.	Michael T.H.	Idukki Division	Anil Raj R.	Ramaswamy S.

4. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy **[T.G. Venkatesh]**
Date: 24-04-2024 17:08:57 **Commissioner**

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

ORDER No. 100 /2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent/Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In continuation to Order No. 28/2024 dated 15.02.2024 the following transfer & postings in the cadre of Superintendent/Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Biju George P, Superintendent	01.02.1971	Vigilance Section, Hqrs, Kochi	Vigilance Section with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi
2	Tojo Davis, Superintendent	18.10.1968	Establishment Section, Hqrs,Kochi	Establishment Section with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi
3	K. Reghuraj, Superintendent	31.05.1969	Anti- Evasion, Hqrs, Kochi	Anti-Evasion with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi
4	Nikhil S Babu, Inspector	03.09.1994	Vigilance Section, Hqrs, Kochi	Vigilance Section with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi
5	Sanoopkumar N, Inspector	16.11.1992	Verification Cell, Hqrs, Kochi	Verification Cell with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi

done 26/08/2024

2. The above mentioned officers are attached to Arrear Cell until further orders with a special task of recovery of few high value cases.

Signed by Venkatesh T G
Date: 22-04-2024 16:04:33

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date:23.04.2024**

ORDER NO. 99/2024

Sub: Posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Abhishek Pandey	30.04.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 23-04-2024 14:43:23

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs,**

Kochi.

2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

Ministry of Finance
Government of India

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE
सी.आर बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि- 682018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD,KOCHI- 682018
E-mail: cexcochinvigilance@rediffmail.com Phone: 0484-2390404

GEXCOM/VIG/MISC/195/2024-VIG **दिनांक/Date: 15 .05.2024**

VIGILANCE CIRCULAR NO. 02/2024

Sub: Implementation of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 –Reg.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 has been in effect to provide a safe and secure environment to women at their workplace. The Hon'ble Supreme Court, in a recent Judgement has directed that the guidelines in this regard be strictly followed at all workplaces for the preservation and enforcement of the right to gender equality of working women.

As such, the following documents are enclosed herewith for information and for strict compliance:

1. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013
2. Rules under 'The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013'
3. Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013

It is directed that all officers under your charge be sensitized regarding the above provisions and all necessary steps are undertaken to ensure that appropriate work conditions are provided to women in r/o work, leisure, health and hygiene to ensure that there is absence of a hostile work

done 26/05/2024

environment for women at their workplaces and to ensure that no woman employee has any reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

Signed by Venkatesh T G
Date: 20-05-2024 18:38:47

[टी जी वेंकटेश/T G Venkatesh]

आयुक्त/Commissioner

To,

1. **All Additional/Joint Commissioners Kochi Commissionerate**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners , HQRS Kochi**
3. **All Deputy/ Assistant Commissioners, All Divisions under Kochi CGST Commissionerate**
4. **All Section Heads, Hqrs, Kochi CGST Commissionerate**
5. **Superintendent (Systems) - to upload in the website**

Copy Submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/42/2020-ESTT

CIRCULAR

Please refer to MA No. 538/2022 in OA No. 862/2018 filed by 'All India Association of Central Excise Gazetted Executive Officers Kerala Unit' before the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench for directing the respondents to give effect to the order dated 26.02.2019 in OA No. 862/2018 to all its members, irrespective of their date of joining the Association. Vide order dated 26.02.2019 the respondents were directed to grant grade pay of Rs 5,400/- to the applicants after 4 years of service in the grade pay of Rs 4,800/- with all consequential benefits.

The department duly complied with the Hon'ble Tribunal's order, extending benefits to the concerned association members. Now, the Hon'ble Tribunal vide order dated 08.09.2023 in MA 538/2022 (copy enclosed) has observed that "*From the stands taken by the Courts it is very obvious that the intention was to extend the benefit to all similarly place employees. In our considered view, all Superintendents of Central Excise, who have on completion of 4 years of service in the said scale of pay are entitled to get grade pay of Rs 5,400/-. Therefore, the respondents are bound to extend the benefits to all similarly placed employees With this direction, the MA is disposed of.*"

Now, Board vide letter A23011/44/2020-Ad.IIA-Part(2) dated 29.02.2024 (copy enclosed), has informed that the Department of Expenditure has advised to implement the court order of similarly situated persons provided the court orders are similar to the case covered in the Hon'ble Madras High Court order dated 06.09.2010 in WP No. 13225/2010. In the list of cases mentioned in the letter, order of Hon'ble Tribunal in MA No. 538/2022 has also been included.

done 26/04/2024

In light of the above, all Commissionerates are requested to take necessary action for implementation of the Order of the Hon. Tribunal in MA No.538/2022, read with order in OA 862/2018 granting the benefit to all officers in the grade of Superintendent. This is issued with the approval of the competent authority.

Encl: As Above.

Signed by
Rani C R
Date: 11-04-2024 18:08:29

(Rani C R)
Additional Commissioner (P&V)

Copy submitted to :

1.The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2.The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate.

3.The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

4.The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate.

5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi

6.The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.

7.The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.

8.The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

9. The Superintendent (Systems), Kochi Commissionerate - for uploading in website

10. The Official Language Cell, Kochi Commissionerate - for Hindi version